हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

04 मई, 2017

खंड 2, अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 04 मई, 2017

पृष्ठ संख्या

हरियाणा में पैट्रोल पम्प मालिकों द्वारा पैट्रोल पम्प मीटरों के साथ छेड़खानी का मामला उठाना

शोक प्रस्ताव

इण्डो–अमेरिकन सोसायटी के अध्यक्ष का अभिनन्दन

शोक प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

घोषणाएं–

(क) अध्यक्ष द्वारा–
चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

(ख) सचिव द्वारा–
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश करना

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

सदन की मेज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज पत्र

विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का **द्वितीय** प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का **प्रथम** प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई सूचना

विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना

एस.वाई.एल. नहर के संबंध में मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ हाल ही में हुई बैठक का मामला उठाना

वॉक–आउट

एस.वाई.एल. नहर के संबंध में मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ हाल ही में हुई बैठक का मामला उठाना (पुनरारम्भ)

विधान कार्य–

(i) दि हरियाणा गुड्ज एण्ड सर्विसिज टैक्स बिल, 2017

(ii) दि हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चरल सांइसिज, करनाल (अमैंडमैंट) बिल, 2017

(iii) चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जीन्द (अमैंडमैंट एण्ड वैलीडेशन) बिल, 2017

(iv) गुरूग्राम यूनिवर्सिटी बिल, 2017

गुरूग्राम विश्वविद्यालय के नाम से सम्बन्धित मामला उठाना

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

गुजरात में स्थापित की जाने वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रस्तावित प्रतिमा का मामला उठाना

विधान कार्य (पुनरारम्भ)–

(v) दि इण्डियन स्टाम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2017

(vi) दि वाई.एम.सी.ए यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एण्ड टैक्नॉलोजी, फरीदाबाद (अमैंडमैंट) बिल, 2017

(vii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एण्ड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एण्ड अलाउंसिज(अमैंडमैंट) बिल, 2017

हरियाणा विधान सभा के सदस्यगण को अपने वाहनों से लाल बत्ती हटाने के संबंध में आ रही समस्या का मामला उठाना

विधान कार्य (पुनरारम्भ)–

(viii) दि हरियाणा सैलरीज एण्ड अलाउंसिज ऑफ मिनिस्टर्स (अमैंडमैंट) बिल, 2017

(ix) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली (सैलरी, अलाउंसिज एण्ड पैंशन ऑफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2017

सरकारी संकल्प–

चण्डीगढ़ में हरियाणा राज्य के लिए पृथक् उच्च न्यायालय के निर्माण सम्बन्धी

राज्य से संबधित कुछ मुद्दों के साथ–साथ एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे से संबंधित प्रधान मंत्री के साथ हाल ही में हुई उनकी बैठक से संबंधित मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सूचना/स्पष्टीकरण

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 04 मई, 2017

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर – 1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 2:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

.....

हरियाणा में पैट्रोल पम्प मालिकों द्वारा पैट्रोल पम्प मीटरों के साथ छेड़खानी का मामला उठाना

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि शोक प्रस्ताव शुरू हों मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हरियाणा में पैट्रोल पैम्पों पर मीटर के साथ टैम्परिंग से संबंधित मैंने एक कालिंग अटैन्शन नोटिस दिया हुआ है । पैट्रोल पम्पों पर मीटर के साथ टैम्परिंग की जाती है जिसके कारण उपभोक्ताओं को पैट्रोल व डीजल कम मिलता है । उत्तर प्रदेश जैसी सरकार ने भी मिलावट और टैम्परिंग करने वाले पैट्रोल पम्पों पर कार्रवाई की है । इसके अतिरिक्त जिला पलवल और फरीदाबाद में बिजली की किल्लत के बारे भी मैंने एक कालिंग अटैन्शन नोटिस दिया हुआ है । पलवल और फरीदाबाद जिलों में बिजली बहुत कम आती है जिसके कारण पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इन दोनों जनहित के विषयों पर दिये गये कालिंग अटैन्शन नोटिसिज को स्वीकार करते हुये आप मंत्री जी से उप पर वक्तव्य देने के लिए कहें ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री करण सिंह दलाल इस सदन के एक वरिष्ठ विधायक हैं । आज का यह सत्र एक विशेष सत्र है । शोक प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद ये भी अपनी बात रख सकते हैं और दूसरे साथी भी अपनी बात रख सकते हैं ।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब संसदीय कार्य मंत्री शोक प्रस्ताव रखेंगे ।

श्री विनोद खन्ना,

प्रसिद्ध अभिनेता एवं भूतपूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) अध्यक्ष महोदय,

यह सदन प्रसिद्ध अभिनेता एवं भूतपूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री विनोद खन्ना के 27 अप्रैल, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 6 अक्तूबर, 1946 को हुआ। वे वर्ष 1998, 1999, 2004 तथा 2014 में लोक सभा के लिए चुने गये तथा वर्ष 2002–04 के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। उन्होंने वर्ष 1968 में 'मन का मीत' फिल्म से अपना फिल्मी जीवन शुरू किया था। उन्होंने 140 से अधिक फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों को अभिभूत किया। उन्हें अनेक पुरस्कारों से अलंकृत भी किया गया।

उनके निधन से देश एक सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन स्वतन्त्रता सेनानी श्री चंद्रभान, गांव जीतपुरा, जिला रेवाड़ी के 16 मार्च, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन हरियाणा के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. उप निरीक्षक बलवान सिंह, गांव बिसाहन, जिला झज्जर।
2. सहायक उप निरीक्षक रामनिवास शर्मा, गांव नांगल माला, जिला महेन्द्रगढ़।
3. सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार, गांव जैनपुर टिकौला, जिला सोनीपत।
4. हवलदार वेदपाल, गांव बुढाखेड़ा, जिला जींद।
5. हवलदार महेंद्र सिंह, गांव फैजाबाद, जिला महेन्द्रगढ़।
6. हवलदार राममेहर सिंह, गांव खेड़ी मानसिंह, जिला करनाल।
7. हवलदार ओमबीर सिंह, गांव मानहेरू, जिला भिवानी।
8. सिपाही अंकित, गांव सिहमा, जिला महेन्द्रगढ़।
9. सिपाही सोमबीर सिंह, गांव टोडी, जिला चरखी दादरी।
10. राईफल मैन मंजीत सिंह, गांव बसई, जिला महेन्द्रगढ़।

यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला

यह सदन 24 अप्रैल, 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 25 वीर जवानों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

जम्मू–कश्मीर में आतंकवादी हमला

यह सदन 27 अप्रैल, 2017 को जम्मू–कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सेना के एक कैप्टन और दो वीर जवानों तथा जम्मू–कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में 1 मई, 2017 को पाकिस्तान की बार्डर एक्शन टीम द्वारा 22–सिख रेजीमेंट के नायब सूबेदार श्री परमजीत सिंह और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 200वीं बटालियन के हेड कांस्टेबल श्री प्रेम सागर की बर्बरतापूर्ण की गई हत्या की घोर निंदा करता है और इन सैनिकों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता है ।

यह सदन ;

परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार के पुत्र, **श्री सुनील कुमार;**

विधायक श्री जयवीर सिंह के ससुर, **श्री बलबीर सिंह;**

विधायक श्री उमेश अग्रवाल के पिता, **श्री मोती राम अग्रवाल;**

विधायक श्री नरेश कौशिक के चाचा, **श्री चंद्रभान कौशिक;**

पूर्व मंत्री श्री वेद सिंह मलिक के पुत्र, **श्री विजय मलिक;**

पूर्व विधायक श्री मंसा राम के पोते, **श्री सुरेंद्र कुमार;**

पूर्व विधायक श्री लाजपतराय के पुत्र, **श्री उदयवीर सामोदिया;**

तथा

पूर्व विधायक श्री रेलूराम पूनिया के भाई, **श्री राम सिंह;** के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन प्रसिद्द अभिनेता श्री ओम पुरी के 6 जनवरी, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है । उनका जन्म 18 अक्तूबर, 1950 को अम्बाला में हुआ । उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों का मनोरंजन किया । उन्होंने न केवल भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि 20 से अधिक हॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय कौशल की अमिट छाप छोड़ी । उन्हें 1990 में पद्म श्री सम्मान से अलंकृत किया गया।

उनके निधन से देश एक सुप्रसिद्द अभिनेता की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जाकिर हुसैन (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से प्रसिद्ध अभिनेता एवं भूतपूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री विनोद खन्ना के 27 अप्रैल, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं ।

उनका जन्म 6 अक्तूबर, 1946 को हुआ । वे वर्ष 1998, 1999, 2004 तथा 2014 में लोक सभा के लिए चुने गये तथा वर्ष 2002–04 के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रहे । उन्होंने वर्ष 1968 में 'मन का मीत' फिल्म से अपना फिल्मी जीवन शुरू किया था । उन्होंने 140 से अधिक फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों को अभिभूत किया । उन्हें अनेक पुरस्कारों से अलंकृत भी किया गया ।

उनके निधन से देश एक सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है । मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से स्वतन्त्रता सेनानी श्री चंद्रभान, गांव जीतपुरा, जिला रेवाड़ी के 16 मार्च, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है । मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया ।

इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. उप निरीक्षक बलवान सिंह, गांव बिसाहन, जिला झज्जर ।
2. सहायक उप निरीक्षक रामनिवास शर्मा, गांव नांगल माला, जिला महेन्द्रगढ़ ।
3. सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार, गांव जैनपुर टिकौला, जिला सोनीपत ।
4. हवलदार वेदपाल, गांव बुढाखेड़ा, जिला जींद ।
5. हवलदार महेंद्र सिंह, गांव फैजाबाद, जिला महेन्द्रगढ़ ।
6. हवलदार राममेहर सिंह, गांव खेड़ी मानसिंह, जिला करनाल ।
7. हवलदार ओमबीर सिंह, गांव मानहेरू, जिला भिवानी ।
8. सिपाही अंकित, गांव सिहमा, जिला महेन्द्रगढ़ ।
9. सिपाही सोमबीर सिंह, गांव टोडी, जिला चरखी दादरी ।
10. राईफल मैन मंजीत सिंह, गांव बसई, जिला महेन्द्रगढ़ ।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शाहदत पर इन्हें शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से 24 अप्रैल, 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 25 वीर जवानों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से

दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदन प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से 27 अप्रैल, 2017 को जम्मू–कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सेना के एक कैप्टन और दो वीर जवानों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ तथा जम्मू–कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सैक्टर में 1 मई, 2017 को पाकिस्तान की बार्डर एक्शन टीम द्वारा 22–सिख रेजीमेंट के नायब सूबेदार श्री परमजीत सिंह और सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ) की 200वीं बटालियन के हैड कांस्टेबल श्री प्रेम सागर की बर्बरतापूर्ण की गई हत्या की घोर निंदा करता है और इन सैनिको की शहादत पर शत–शत नमन करता हूँ। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से आतंकवादियों के जघन्य कृत्यों की कड़ी निन्दा करता हूँ और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार के पुत्र श्री सुनील कुमार के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से विधायक श्री जयवीर सिंह के ससुर श्री बलबीर सिंह, विधायक श्री उमेश अग्रवाल के पिता श्री मोती राम अग्रवाल, विधायक श्री नरेश कौशिक के चाचा श्री चंद्रभान कौशिक, पूर्व मंत्री श्री वेद सिंह मलिक के पुत्र श्री विजय मलिक, पूर्व विधायक श्री मंसा राम के पोते श्री सुरेन्द्र कुमार, पूर्व विधायक श्री लाजपतराय के पुत्र श्री उदयवीर सामोदिया तथा पूर्व विधायक श्री रेलूराम पूनिया के भाई श्री राम सिंह के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ तथा प्रसिद्ध अभिनेता श्री ओम पुरी के 6 जनवरी, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

Shri Kuldip Sharma (Gannaur): Speaker Sir, I and on behalf of my Party place on record our deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Vinod Khanna, noted Actor and former Union Minister of State, on April 27, 2017. He was born on October 6, 1946. He was elected to the Lok Sabha for four times i.e. in 1998, 1999, 2004 and 2014 and remained Union Minister of State during 2002-04. He began his film career in 1968 with his debut film

"Man Ka Meet". He dazzled audiences with his performances in over 140 films. He was a recipient of numerous awards. In his death, the country has lost a noted actor and an able administrator. We resolve to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

We place on record our deep sense of sorrow on the sad demise of freedom fighter Shri Chander Bhan, village Jeetpur, District Rewari on March 16, 2017. We resolve to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

I and on behalf of my Party bid tearful adieu to those brave soldiers who showed indomitable courage and made the supreme sacrifice of their lives while safeguarding the unity and integrity of our motherland.

These great martyrs are:

1. Sub Inspector Balwan Singh, village Bisahan, District Jhajjar.
2. Assistant Sub Inspector Ram Niwas Sharma, village Nangal Mala, District Mahendragarh.
3. Assistant Sub Inspector Naresh Kumar, village Jainpur Tikola, District Sonipat.
4. Havildar Ved Pal, village Budha Khera, District Jind.
5. Havildar Mahender Singh, village Faizabad, District Mahendragarh.
6. Havildar Ram Mehar Singh, village Kheri Man Singh, District Karnal.
7. Havildar Ombir Singh, village Manheru, District Bhiwani.
8. Sepoy Ankit, village Seehma, District Mahendragarh.
9. Sepoy Sombir Singh, village Todi, District Charkhi Dadri.
10. Rifleman Manjit Singh, village Bassai, District Mahendragarh.

We salutes these great soldiers for their supreme sacrifice of laying down their lives for the nation and resolve to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

Speaker Sir, we place on record our deep sense of sorrow on the sad and untimely demise of 25 brave soldiers of the Central Reserve Police Force who lost their lives in a Naxal attack in Sukma district of Chhattisgarh,

on April 24, 2017. We resolve to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

We place on record our deep sense of sorrow on the sad and untimely demise of a Captain and two brave soldiers, I think their names should have been mentioned here, who lost their lives in the terrorist attack in Kupwara district of Jammu & Kashmir on April 27, 2017 and two brave soldiers, who lost their lives in Krishan Ghati of Poonch district on May 1st, 2017. We strongly condemn the terrorist activities and resolve to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

We place on record our deep sense of sorrow on the sad demise of:-

Sh. Sunil Kumar, son of Sh Krishan Lal Panwar, Transport Minister;
Sh. Balbir Singh, father in law of Sh. Jaiveer Singh, MLA;
Sh. Moti Ram Aggarwal, father of Sh. Umesh Aggarwal, MLA;
Sh. Chander Bhan Kaushik, uncle of Sh. Naresh Kaushik, MLA;
Sh. Vijay Malik, son of Sh.Ved Singh Malik, Ex-Minister;
Sh. Surender Kumar, grandson of Sh. Mansa Ram, Ex-MLA;
Sh. Udayveer Samodiya, son of Sh. Lajpat Rai, Ex-MLA; and
Shri Ram Singh, brother of Sh. Relu Ram Punia, Ex-MLA.

We resolve to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

इण्डो–अमेरिकन सोसायटी के अध्यक्ष का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, श्री वीरेन्द्र सिंह जैलदार, प्रैजीडैंट ऑफ इण्डो–अमेरिकन सोसायटी जो लॉस एंजिल्स, अमेरिका के निवासी हैं सदन की वी.आई.पी. दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं, मैं सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करता हूँ ।

शोक प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय ने सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने अपने–अपने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के

साथ जोड़ता हूं । पिछले अधिवेशन के समाप्त होने के पश्चात् और इस अधिवेशन के आरम्भ होने के बीच कई महान विभूतियाँ दुनिया को छोड़कर चली गई हैं । मैं सबसे पहले श्री विनोद खन्ना, प्रसिद्ध अभिनेता एवं भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री और लोक सभा के चार बार सदस्य चुने गए, के 27 अप्रैल, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ । मैं श्री ओम पुरी, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त करता हूँ । मैं स्वतंत्रता सेनानी श्री चंद्रभान के दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ । मैं हरियाणा के उन सभी वीर सैनिकों जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया उन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता हूँ और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ । मैं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 25 वीर जवानों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ और मैं जम्मू–कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सेना के एक कैप्टन और दो वीर जवानों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ । मैं जम्मू–कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में 1 मई, 2017 को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम द्वारा 22–सिख रेजीमेंट के नायब सूबेदार श्री परमजीत सिंह और सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) की 200वीं बटालियन के हैड कांस्टेबल श्री प्रेम सागर की बर्बरतापूर्ण की गई हत्या की घोर निंदा करता हूँ और इनकी शहादत पर शत्–शत् नमन करता हूँ । इसके अतिरिक्त मैं मंत्री, विधायकों, पूर्व मंत्रियों एवं पूर्व विधायकों के निजी संबंधियों के दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ । मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें ताकि उनकी आत्माओं को शांति प्राप्त हो । मैं इस सदन की भावनाएं शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा । अब मैं सदन के सभी सदस्यों से

विनती करूंगा कि इन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें ।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया ।)

घोषणाएं –

(क) अध्यक्ष द्वारा –

चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 13 (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापतियों की सूची में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूं :–

1. श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक
2. श्रीमती संतोष चौहान सारवान, विधायक
3. श्री आनन्द सिंह दांगी, विधायक
4. श्री जाकिर हुसैन, विधायक

(ख) सचिव द्वारा –

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सचिव महोदय घोषणा करेंगे ।

श्री सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने नवम्बर, 2015 तथा फरवरी–मार्च, 2017 में हुए सत्रों में पारित किये थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ :–

नवम्बर सत्र, 2015

हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

फरवरी–मार्च सत्र, 2017

1. पंजाब एवं भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 ।
2. हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2017 ।
3. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 ।
4. हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2017 ।
5. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017 ।
6. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 ।
7. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2017 ।
8. हरियाणा सड़क अवसंरचना संरक्षण विधेयक, 2017 ।
9. हरियाणा नर्स तथा नर्स–सेविका विधेयक, 2017 ।
10. हरियाणा पशु मेला (संशोधन) विधेयक, 2017 ।
11. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2017 ।
12. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2017 ।
13. हरियाणा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2017 ।

.....

कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारणी सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

''समिति की बैठक वीरवार, 4 मई, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक वीरवार, 4 मई, 2017 को 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 4 मई, 2017 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः–

वीरवार, 4 मई, 2017	1.	शोक प्रस्ताव।
(2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात्)	2.	कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना।

3. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।
4. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।
5. सदन की मेज़ पर पुनः रखे जाने वाले/रखे जाने वाले कागज पत्र।
6. विशेषाधिकार समिति के दो प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उन पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।
7. विधान कार्य।
8. कोई अन्य कार्य।''

श्री अध्यक्षः अब पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम – 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.....

नियम– 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.....

सदन की मेज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज–पत्र रखेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर पुनः रखता हूँ–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमावली, 1973 में संशोधन के संबंध में कार्मिक विभाग अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 23/कांस्ट./आर्ट.320/2016, दिनांकित 2 अगस्त, 2016 मेज पर पुनः रखेंगे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमावली, 1973 में संशोधन के संबंध में कार्मिक विभाग अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 29/कांस्ट./आर्ट.320/2016, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2016 मेज पर पुनः रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज सदन के पटल पर रखता हूँ–

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2012–2013 के लिए हरियाणा पुलिस आवासन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013–2014 के लिए हरियाणा पुलिस आवासन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013–2014 के लिए हरियाणा राज्य भाण्डागारण निगम, पंचकुला की 47वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2014–2015 के लिए हरियाणा राज्य भाण्डागारण निगम, पंचकुला की 48वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

.....

(i)विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास, विधायक, चेयरपर्सन विशेषाधिकार समिति श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक द्वारा श्री करण सिंह दलाल, एम. एल.ए. के विरूद्ध दी गई सूचना पर कि उन्होंने 29 अगस्त, 2016 को सदन को गुमराह किया तथा उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत पूरी राशि का 30

प्रतिशत हिस्सा मंत्रियों की जेब में जाता है, जो कि सरासर झूठ है उनके पास इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है तथा उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सदन को गुमराह करने वाला तथा सदन की गरिमा को धूमिल करने वाला है, के बारे में अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विशेषाधिकार समिति के अंतिम प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

Chairperson, Committee of Privileges (Shri Ghanshyam Dass): Sir, I beg to present the Second Priliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Gian Chand Gupta, MLA against Shri Karan Singh Dalal, MLA for misleading the House on 29th August, 2016 and he has stated that 30% share of the whole amount under the Fasal Bima Yojna goes to the pockets of Ministers, which is totally false. He has no evidence in this regard and explanation given by him is also misleading the House and maligned the dignity of the House.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first Sitting of the next Session.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विशेषाधिकार समिति के अंतिम प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विशेषाधिकार समिति के अंतिम प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.....

(ii)विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण अब श्री घनश्याम दास, विधायक, चेयरपर्सन विशेषाधिकार समिति श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक द्वारा श्री कुलदीप शर्मा, विधायक के विरूद्ध दी गई सूचना पर कि उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप लगाये जो राज्य सरकार के संरक्षण के अधीन अवैध खनन कर रहे हैं। ये सरकार के व्यक्ति हैं। हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां अवैध खनन नहीं हो पा रहा है। ये व्यक्ति सदन में बैठे हुए हैं जो इस तरह का अवैध खनन करवा रहे हैं। जब उनको उन व्यक्तियों के नाम उजागर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने उनके नाम घोषित करने में अपनी असमर्थत्ता व्यक्त की, के बारे में अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विशेषाधिकार समिति के अन्तिम प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाये।

Chairperson, Committee of Privileges (Shri Ghanshyam Dass): Sir, I beg to present the First Priliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Gian Chand Gupta, MLA against Shri Kuldip Sharma, MLA for leveled allegations against the such persons who are doing illegal mining under patronage of State Government. These are government functionaries. There is not any such area in the Haryana State where the illegal mining is not doing. These people are sitting in the House who are doing such illegal mining. When he was asked to mention the names of those persons then he expressed his inability to declare their names. He has misleaded the House.

Sir, I also beg to move-

> That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first Sitting of the next Session.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विशेषाधिकार समिति के अंतिम प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विशेषाधिकार समिति के अंतिम प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.....

अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई सूचना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण जैसा कि आप इस बात से भलिभांति परिचित हैं कि यह सत्र जी.एस.टी. विधेयक को पास करने के लिए बुलाया गया है और इस विधेयक के साथ–साथ सरकार कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पास करना चाहती है। जी.एस.टी विधेयक की महत्ता को देखते हुए मैंने यह फैसला लिया है कि आज सरकारी विधायी कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य जैसे कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल, अल्पवधि चर्चा जो कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य के संचालन के संबंधी नियमों के अधीन प्रश्नकाल के बाद आते हैं, को नहीं लिया जाएगा। आज इस सदन के विधायी कार्यों में केवल विभिन्न विधेयकों को पास करना और सरकारी संकल्प ही सम्मिलित किए जाएंगे।

.....

विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना

श्री जय तीर्थ : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात को सुन लें। मैं अपने प्रिविलेज मोशन के बारे में फेट पूछना चाहता हूं। मेरा यह प्रिविलेज मोशन स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के खिलाफ मोती लाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्टस राई (सोनीपत) में स्पोर्टस आईटम्ज की खरीद में हुए गबन के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : जयतीर्थ जी, जैसा कि मैंने अभी सदन को बताया है कि आज जी.एस.टी तथा कुछ अन्य विधेयकों के अलावा किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं होगी।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, रूल्ज के अनुसार अगर प्रिविलेज मोशन आया है तो उसको एडवांस में लाना पड़ता है। उसमें आप जो भी निर्णय लेना चाहे, आपको अभी लेना पड़ेगा क्योंकि बाद में इसके लिए रूल्ज में इजाजत नहीं है। It's relate to recent occurence। स्पीकर सर, जो नोटिस प्रिविलेज मोशन

लाने के बारे में दिया है उसमें आपको रूलिंग अभी देनी पड़ेगी वर्ना बाद में रूल्ज के हिसाब से इसमें इजाजत नहीं दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : आपका यह प्रिविलेज मोशन डिसअलाऊ कर दिया गया है।

एस.वाई.एल. नहर के संबंध में मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ हाल ही में हुई बैठक का मामला उठाना

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, यह आज का जो सैशन आया है उसे आपने विशेष रूप से जी.एस.टी बिल पास करने के लिए बुलाया है और आपने अपनी तरफ से यह भी कह दिया है कि बिलों के अलावा किसी और विषय पर चर्चा आज नहीं होगी। हमारे प्रदेश का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय एस.वाई.एल नहर का है, जिसको लेकर हमारी पार्टी कई दिनों से आन्दोलन कर रही है । (विघ्न) मैं सदन में कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा, जिससे सदन का समय बर्बाद हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 10 नवम्बर को आ गया था और 19 नवम्बर को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। जिसमें सभी पार्टियों के लोगों को बुलाया गया था और उसमें यह फैसला लिया गया था कि हम लोग राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और दोनों से मिलकर हम लोग हरियाणा की जीवन रेखा एस.वाई.एल नहर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसे लागू कराने की बात करेंगे। हमारी पार्टी राष्ट्रपति जी से मिलकर आयी थी और हमने सारी बातों को उनके सामने रखा था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलने की जो बात थी, उसके लिए इस बात को लेकर बाकायदा प्रस्ताव पास किया गया था कि मुख्यमंत्री जी सभी पार्टियों के दलों को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी से मिलने जाएंगे। उस दौरान गृहमंत्री जी से भी मिलने का समय लिया गया और उसके लिए सरकार की तरफ से सबको कहा गया कि सभी पार्टियों के लोग उनसे मिलकर आयेंगे, उसके बाद सभी पार्टियों के लोग गृह मंत्री जी से मिलने गये थे और उनके सामने सारी बातें रखी थीं। आज पूरे हाउस के सदस्य और पूरे प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से जब हम मिलने गए थे वहां किन–किन विषयों पर चर्चा हुई थी और हमारी तरफ से हमने किस तरह से हरियाणा का पक्ष रखा था। वहां न केवल हम लोग मिलने गए, बल्कि जो हमारे वकील पैरवी करने वाले थे चाहे वह हमारे हरियाणा के एडवोकेट जनरल हो चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के जो वकील उस केस को देख रहे थे, वे हों उनसे गृह मंत्री जी ने यह पूछा कि क्या

इस केस में कोई लीगल हिच है। तब उन दोनों ने और हमारे अधिकारियों ने भी यह बात कही थी कि इस केस में कोई लीगल हिच नहीं है। इस नहर का निर्माण सरकार चाहे किसी भी एजेंसी से करवा सकती है। उस समय जब यह सारी बातें क्लीयर हो गई थीं तो अब तक सरकार ने उस पर क्या कदम उठाया है और पिछले दिनों हमने अखबार में पढ़ा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिलकर आए हैं। हरियाणा प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया था। उसके मुताबिक मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मिला उसमें उन्होंने सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को लेकर जाना चाहिए था ताकि पूरे प्रदेश के लोगों को वहां पर एस.वाई.एल. नहर के निर्माण को लेकर जो चर्चा हुई उसके बारे में जानकारी मिल सकती । मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए क्या आश्वासन दिया गया है, उन बातों की जानकारी मुख्यमंत्री जी सदन में स्वयं दें ताकि प्रदेश की पूरी जनता को जानकारी मिल सके । मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए क्या–क्या बातें करके आयें हैं और प्रधानमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है उन सभी बातों की जानकारी मुख्यमंत्री जी सदन में दें । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने एस.वाई.एल. का पानी लेने के लिए लगातार संघर्ष किया है । हम 23 फरवरी को पंजाब में धरना देने के लिए गए थे और 15 मार्च को दिल्ली में भी हमने धरना दिया था । हमने दिल्ली में पहले जंतर–मंतर पर धरना शुरू किया था लेकिन वहां से हमें उठा दिया गया । उसके बाद हमने रोजाना प्रदेश के एक विधान सभा क्षेत्र में धरना देने का निर्णय लिया और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एस.डी.एमज. को एस.वाई.एल.नहर के निर्माण के लिए ज्ञापन दिए ताकि वे ज्ञापन प्रधान मंत्री जी तक पहुंच जायें और प्रधानमंत्री जी को प्रदेश की जनता की भावना की जानकारी मिल जाये । लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि डी.सी., नारनौल ने जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे उनके टैंट को फड़वाने का काम किया । इस तरह की कार्रवाई प्रदेश सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है । हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम–काज छोड़कर प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरी तरफ डी.सी. महोदय आदेश देते हैं कि धरना देने वाले लोगों का टैंट फाड़ दिया जाये ताकि वे लोग धरने पर न बैठ पायें । सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए कि जो लोग प्रदेश के हितों

की रक्षा के लिए शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे उनको रोकना चाहिए या जो उन्होंने ज्ञापन दिए थे वे प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाने चाहिंए । अंत में मैं फिर से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए उनकी प्रधानमंत्री जी से क्या–क्या बातें हुई और प्रधानमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया उसकी पूरी जानकारी उन्हें सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को जी.एस.टी. पर चर्चा शुरू होने से पहले देनी चाहिए ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय चौटाला साहब ने एस.वाई.एल. नहर के निर्माण को लेकर जो बातें कहीं हैं वे तथ्य पर आधारित हैं । एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उसमें यह फैसला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत एस.वाई.एल. नहर का निर्माण करवाने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी से मिलेगा । राष्ट्रपति जी को सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल अपनी सारी बातें कह आया था । प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय नहीं मिला था जिसके कारण गृहमंत्री जी को प्रतिनिधि मण्डल अपनी सारी बातें कह आया था । अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि यह केस finality attain कर चुका है और अब इसके निर्माण की जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की है । उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिले । हम चाहते हैं कि उनको मिलना भी चाहिए । प्रधानमंत्री जी से उनकी एस.वाई.एल. नहर को लेकर बातें भी हुई होंगी और जी.एस.टी. को लेकर भी बात हुई होगी । सर्वदलीय बैठक में एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए सभी दल इकट्ठे थे और सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार की तरफ से समिति कक्ष के बाहर स्टेटमैंट जारी हुई थी कि एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमंत्री जी से मिलेगा । यह बात अलग है कि हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से अकेले मिलकर आये हैं लेकिन आज पूरा सदन और प्रदेश की जनता टकटकी लगाये बैठी है कि प्रधानमंत्री जी से एस.वाई.एल.नहर के निर्माण के लिए क्या–क्या बातें हुई और प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए क्या आश्वासन दिया । मुख्यमंत्री जी यह भी जानकारी दें कि प्रधानमंत्री जी ने एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए जो आश्वासन दिया है उस पर सरकार की भविष्य की क्या रणनीति रहेगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जवाब पर ही एस. वाई.एल. नहर के निर्णाण की भविष्य की रणनीति तय होगी । एस.वाई.एल. नहर का विषय दलगत राजनीति से उपर का विषय है । हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी

सदन में स्पष्टीकरण दें कि इस विषय पर उनकी प्रधानमंत्री जी से क्या–क्या बातें हुई और भविष्य के लिए सरकार एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए क्या रणनीति बना रही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी की जानकारी के लिए पुनः बताना चाहूंगा कि आज जो सदन का विशेष सत्र बुलाया गया है वह जी.एस.टी. बिल को सदन में पास करवाने के लिए बुलाया गया है। इसलिए पहले इस बिल को पारित करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये उसके बाद ही श्री अभय सिंह चौटाला जी और श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी द्वारा उठाये गये विषय के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जवाब दे दिया जायेगा। इसलिए इस समय आप कृपया करके बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान) मैंने सम्पूर्ण विपक्ष को यह आश्वासन दे दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बाद में इस बारे में अपना जवाब दे देंगे। (शोर एवं व्यवधान) इतना तो आप सभी को भी मानना होगा कि यह तय करना अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सदन में पहले कौन सा बिजनैस टेक–अप किया जाना है। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी बहुत समझदार हैं और आप सभी को यह भी ज्ञात होगा कि सदन की कार्यवाही एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही चलती है। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हाउस की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने में सहयोग दें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, हम तो यही चाहते हैं कि एस.वाई.एल. नहर का इशू बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए हाउस का बाकी का कामकाज बाद में हो और इससे पहले एस.वाई.एल. नहर के इशू पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपना जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आयेगा लेकिन उससे पहले आप आज के लिए निर्धारित बिजनैस पर कार्यवाही को पूर्ण कर लेने दें। (शोर एवं व्यवधान) मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि एस.वाई.एल. नहर का इशू बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जवाब दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) इससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस कार्य के लिए आज का सत्र बुलाया गया है पहले उस कार्य को सम्पन्न कर लिया जाये। (शोर एवं व्यवधान) इस बात का मैं आप सभी को बार–बार आश्वासन दे रहा हूं ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता सरकार की तरफ टकटकी लगाये देख रही है कि उसे एस.वाई.एल. नहर के इशू के बारे में स्टीक जानकारी उपलब्ध करवाई जाये। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री पहले इस बारे में हाउस में जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि पहले उस विषय पर कार्यवाही हो जाये जिसके लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री इस बारे में सदन में जवाब दे देंगे। (शोर एवं व्यवधान) यह कार्य ज्यादा से ज्यादा एक घंटे में पूर्ण हो जायेगा इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको इस विषय पर एक घंटे के बाद जवाब दे दिया जायेगा। इसलिए फिलहाल आप बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, जो एस.वाई.एल. नहर का इशू है यह इस समय हरियाणा प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण इशू है। इस समय हरियाणा प्रदेश के लिए एस.वाई.एल. नहर का इशू जी.एस.टी. और जो दूसरे चार बिल सदन की आज की कार्यवाही में रखे गये हैं उन सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसलिए इससे पहले कि हाउस में जी.एस.टी. या दूसरे बिल्ज़ पर कार्यवाही शुरू की जाये एस.वाई. एल. नहर के इशू पर माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, जी.एस.टी. बिल के साथ जो दूसरे बिल्ज़ आज की सदन की कार्यवाही के लिए निर्धारित हैं उनके लिए बहुत थोड़े समय की आवश्यकता है इसलिए मैं बार–बार आपसे यही कहना चाहूंगा कि पहले आप इन बिल्ज़ को सदन में पास करने की कार्यवाही हो जाने दें उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा उठाये गये विषय पर रिप्लाई दे देंगे।

वॉक–आउट

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, हमारी पार्टी यह चाहती है कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी एस.वाई.एल. नहर के इशू पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करें और उसके बाद ही जी.एस.टी. बिल व दूसरे बिल्ज़ को सदन में पास करवाने की कार्यवाही सम्पन्न की जाये लेकिन अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हमारी

पार्टी के सभी सदस्य इसके विरोध में सदन से वॉक–आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्यगण एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बारे में जैसा कि उन्होंने सदन को नहीं बताया, मुख्यमंत्री के विरूद्ध विरोध के रूप में वॉक–आउट कर गये।)

एस.वाई.एल. नहर के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ हाल ही में हुई बैठक का मामला उठाना (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, मेरी आपसे पुनः रिकवैस्ट है कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी एस.वाई.एल. नहर के इशू पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें क्योंकि इस समय हमारी पार्टी के लिए एस.वाई.एल. नहर का इशू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, एस.वाई.एल. नहर का इशू सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं भी आपको बार–बार यही कहना चाहता हूं कि पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत सदन की कार्यवाही को चलने दें उसके बाद आपकी बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दे दिया जायेगा। अभी आप बैठे और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में सभी पार्टियों के सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया था कि वे सभी को साथ लेकर एस.वाई.एल. नहर के इशू पर माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे लेकिन इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले में ही माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल आये। ऐसा करके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन के साथ धोखा किया गया है। हम यह चाहते हैं कि इस बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करें कि वे सभी पार्टियों के सभी माननीय सदस्यों को अपने साथ लेकर प्रधानमंत्री जी से मिलने क्यों नहीं गये।

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र जी, आप कृपया करके बैठ जायें। माननीय संसदीय कार्यमंत्री इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं इसलिए आप उनको अपनी बात कहने दें।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के साथ भी बात हो गई थी और आपने इस सदन को भी इस बारे में आश्वासन दे दिया है कि मुख्यमंत्री जी इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर देंगे । सदन के सभी 90 विधायकों ने भी कह दिया है कि हम सभी एस.वाई.एल.

नहर के मुद्दे पर एक हैं । एस.वाई.एल. नहर हमारे लिये जीवन–रेखा है । हम इस मुद्दे पर महामहिम राष्ट्रपति जी से भी इकट्ठे मिल कर आये हैं और प्रधानमंत्री जी के कहने पर माननीय गृह मंत्री जी से भी हम इकट्ठे मिल कर आये हैं । 1 घंटे बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बारे में सारी स्थिति स्पष्ट कर देंगे तथा सभी बातें सदन के सामने बता देंगे । मैं नेता प्रति पक्ष से कहना चाहूंगा कि उनका कांग्रेस के साथ बेमेल गठजोड़ अच्छा नहीं लगता ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गठजोड़ तो श्री रामबिलास शर्मा जी हर रोज बनाते हैं ।

Shri Ram Bilas Sharma : Hon'ble Speaker Sir, it is a record of this Haryana, it is a record of this August House that I.N.L.D. never had been under the Chairmanship of Congress. यह दल चौधरी देवी लाल जी के नाम पर है । मैंने भी कई बार चौधरी देवी लाल जी के सहयोग में काम किया है मगर चौधरी देवी लाल जी ने कभी कांग्रेस के सहयोग में काम नहीं किया है और उनके पौत्र आज कांग्रेस का सहयोग ले रहे हैं यह गठजोड़ अच्छा नहीं लगता ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह तो हमने राज्य सभा के चुनाव के समय देख ही लिया है कि शर्मा जी भी कांग्रेस के सहयोग से ही काम कर रहे थे ।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी को कांग्रेस का सहयोग कभी स्वीकार नहीं था अगर अभय सिंह जी कांग्रेस का सहयोग स्वीकार करेंगे तो मैं नहीं होने दूंगा । मैं अभय सिंह चौटाला जी को एक ही बात कहना चाहता हूं कि :–

> पुरानी यादों के उजाले आंखों में महफूज रखना, दूर तक रात ही रात होगी,
> मुसाफिर तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो बात श्री राम बिलास शर्मा जी ने कही है मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं । जो बात हमने सदन के सामने रखी है हम उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का जवाब चाहते हैं । मैं शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि वे बात को घुमा फिरा कर सदन को भटकाने की कोशिश न करें और हमने जो बात पूछी है उसका जवाब दें । किसके साथ किसका गठजोड़ रहा, कब रहा, कहां रहा, मैं ये सारी बातें बताने लगूंगा तो और बहुत सी बातें खुल कर आयेंगी इसलिए इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । हमने जो बात सदन

के सामने रखी है उसका जवाब आना चाहिए । आज के दिन न तो हमारे लिये जी.एस.टी. बिल कोई इशू है और न ही कोई दूसरा बिल हमारे लिये इशू है । अगर हाउस के लिए और पूरे प्रदेश के लिए अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वह है एस. वाई.एल. नहर का निर्माण । सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी उसका निर्माण नहीं हुआ है । 10 नवम्बर से आज मई का महीना आ गया है लेकिन उस नहर की खुदाई का काम शुरू नहीं किया गया है । जहां उस नहर की खुदाई का काम शुरू करवाना चाहिए था वहां पर उसको लटकाने का काम किया जा रहा है । हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन को बतायें कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या बात करके आये हैं? पहली बात तो यह है कि उनको सभी दलों के प्रतिनिधियों को लेकर जाना चाहिए था लेकिन अगर वे अकेले भी गये हैं तो उनको वह बात सदन के सामने बतानी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. बिल देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसलिए इसको पास किया जाना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी के लिए जी.एस. टी. बिल मुद्दा होगा लेकिन हमारे लिये एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा है । हमारे लिये सिर्फ और सिर्फ एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा है । इस प्रदेश में 60 प्रतिशत आबादी जाट और बनियों की है। आज पानी के अभाव में पशु मर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि उनके लिए जी.एस.टी. बिल ज्यादा महत्वपूर्ण है और एस.वाई.एल. नहर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है । आज का सत्र विशेष तौर पर जी.एस.टी. बिल के लिये ही बुलाया गया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमारे लिये एस.वाई.एल. नहर कोई मुद्दा नहीं है । अगर एस.वाई.एल. नहर के लिए हमें कोई कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हमारा दल उससे भी पीछे नहीं हटेगा और हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं–नहीं, उन्होंने यह कहा है कि जी.एस.टी. बिल और एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा जीवन–मरण का प्रश्न है । (शोर एवं व्यवधान) एस.वाई.एल. नहर के लिए हमें चाहे

जितना भी संघर्ष करना पड़े हम करेंगे । इसके लिए हमें चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े तो वह भी हम दे देंगे । (शोर एवं व्यवधान) लेकिन ज्ञान चन्द जी, हम आपकी तरह हरियाणा प्रदेश के विरोधी नहीं हो सकते । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपकी बात पूरी हो गई है प्लीज अब आप बैठ जाईये । (शोर एवं व्यवधान) एस.वाई.एल. नहर का किसी ने विरोध नहीं किया ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, श्री रामबिलास जी ने इस सदन में चर्चा की है तो I want to straight the record. इन्होंने कहा कि चौधरी देवी लाल और चौधरी ओमप्रकाश चौटाला का कांग्रेस पार्टी से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पहले चौधरी देवी लाल कांग्रेस पार्टी के प्रधान रहे और चौधरी ओमप्रकाश चौटाला भी पहली बार जब एम.एल.ए. बने तो वह भी कांग्रेस पार्टी की टिकट से ही बने थे । चौधरी साहब राम भी जब पहली बार एम. एल.ए. बने तो कांग्रेस पार्टी की टिकट से बने थे । अतः आप यह बात कैसे कह सकते हो कि चौधरी देवी लाल और चौधरी ओमप्रकाश चौटाला का कांग्रेस पार्टी से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब जो कह रहे हैं वह वर्ष 1977 से पहले की बात कह रहे हैं ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर विषय है इसलिए इस पर मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप मोनी बाबा मत बनिये । हमें इसका जवाब दीजिए कि प्रधान मंत्री जी ने आपको एस.वाई.एल. नहर के संबंध में क्या कहा है ? मोनी बाबा बनने की जरूरत नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिए । अब लैजिस्लेटिव बिजनैस होगा ।

.....

विधान कार्य–

(i) दि हरियाणा गुड्ज एण्ड सर्विसिज टैक्स बिल, 2017

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब आबकारी और कराधान मंत्री हरियाणा माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे और इस पर तुरंत विचार करने के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे ।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : स्पीकर सर, मैं हरियाणा माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा माल एवं सेवा कर विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा माल एवं सेवा कर विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा माल एवं सेवा कर विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक, पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

सब–क्लॉज–3 ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब–क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब–क्लॉज–2 ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉजिज–2 से 174

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 174 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिड्यूल्ज I से III

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि शिड्यूल्ज I से III विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, आज कैप्टन साहब यह जी.एस.टी. बिल सदन में लेकर आए हैं । वैसे तो सभी सदस्यों ने इसका समर्थन करने का फैसला किया है । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है और इसको बनाने में हरियाणा के लोगों ने कितना खून–पसीना बहाया है जिसके कारण इतने सालों में आज हरियाणा प्रदेश इस देश के प्रमुख राज्यों में माना जा रहा है । मंत्री जी जो यह जी.एस.टी. बिल लेकर आए हैं उसके लिए हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन इस जी.एस.टी. बिल की जो कॉउंसिल बननी है उसके मैंबर्ज हर प्रदेश के या तो फाईनैंस मिनिस्टर या एक्साईज टैक्सेशन मिनिस्टर होंगे । गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने जी.एस.टी. बिल में जो प्रावधान किये हैं उसके फैसले में तकरीबन राज्य सरकारों का इसमें जो एक बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था उसको बिल्कुल निरस्त करते हुए नजर आ रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने जी.एस.टी. बिल की वजह से हरियाणा का जो आंकलन किया है उसके जवाब में यह बताएं कि जी.एस.टी. बिल की नई प्रणाली की वजह से हरियाणा प्रदेश को हर विभाग में कहां–कहां फायदा होगा और कहां–कहां नुकसान होगा । सर, यह जो जी.एस.टी. बिल है वह एक डैस्टीनेशन टैक्स है । हमारे

हरियाणा के अन्दर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जैसे मारूति है, हीरो होंडा है और भी दुनिया भर के ऑटो मोबाईल से, टैक्सटाईल से, आई.टी. से जुड़े हुए बहुत से विभागों से टैक्स की जो आमदन हुआ करती थी उसको लेकर आज हरियाणा के लोगों के मन में यह डर है कि कहीं इस जी.एस.टी. बिल के पास होने की वजह से हरियाणा प्रदेश को कोई नुकसान न हो जाए । सर, इस जी.एस.टी. बिल में 5 साल का प्रावधान तो किया गया है कि 5 साल में अगर किसी राज्य को इससे कोई नुकसान होगा तो भारत सरकार उस नुकसान की भरपाई करेगी । अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब से हरियाणा के लोग यह जानना चाहते हैं कि 5 साल के बाद इस जी.एस.टी. बिल से हरियाणा को ओवरऑल कितना नुकसान होना है और कितना फायदा होना है । अगर इससे नुकसान होना है तो उसकी भरपाई 5 साल के बाद कौन करेगा ? आज बिहार व उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश या वे प्रदेश जो अपने पैरों पर ठीक तरीके से खड़े नहीं हुए हैं और आज हमारे संविधान के मुताबिक देश के अन्दर जो फैडरल व्यवस्था बनी हुई है कि हर प्रदेश को अपने प्रति कोई भी कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, अच्छा–बुरा सोचने का अधिकार प्राप्त है। जी.एस.टी. बिल के बारे में पूरे देश में गुणगान किया जा रहा है कि सभी प्रदेशों में इस बिल के पास हो जाने पर पूरे भारत वर्ष की टैक्स प्रणाली में सुधार आयेगा लेकिन इस परिपेक्ष्य में मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह साफ है कि सभी प्रदेशों में जी.एस.टी. बिल के पास हो जाने के बाद देश और प्रदेशों में जी.एस.टी. प्रणाली लागू हो जायेगी। जी.एस.टी. प्रणाली एक बिल्कुल आधुनिक व्यवस्था है जिसको लागू करने के लिए अति आधुनिक संसाधनों की जरूरत होगी, तो इस संबंध में मेरी मुख्य चिंता यही है कि क्या हरियाणा प्रदेश इस प्रकार के आधुनिक साधनों से सुसज्जित है? जी.एस.टी. प्रणाली में आई.टी. एक महत्वपूर्ण अंग होता है। प्रदेश में जी.एस.टी. प्रणाली लागू हो जाने के बाद आई.टी. के तहत अब प्रदेश की हर प्रकार की संस्थाओं व व्यक्तियों को अपनी विशेष जानकारियां वर्ष में 27–27 दफा रिकॉर्ड में दर्ज करवानी पड़ेगी जबकि पहले केवल वर्ष में एक बार ही इस प्रकार की इंफॉरमेशन दर्ज करवानी पड़ती थी। जिस हरियाणा प्रदेश के शहरों में आज दो घंटे, तीन घंटे तथा चार घंटे बिजली दी जा रही हो तथा जहां गांवों में बिजली बिल्कुल नहीं दी जा रही है, ऐसी परिस्थितियों में अगर जी.एस.टी. प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग माने जाने

वाला आई.टी. विंग यदि हरियाणा प्रदेश में काम करेगा तो निसंदेह इसकी सफलता पर शक होना अवश्यंभावी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, करण जी जिस प्रकार की बातें सदन में कर रहे हैं, उनको सुनकर ऐसा लगता है कि इनके दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश के शहरों में पंचकुला शहर की तरह 24–24 घंटे बिजली दी जा रही है और इसी प्रकार प्रदेश के गांवों के फीडर्ज पर 15 से 18 घंटे तक बिजली उपलब्ध है। मैं समझता हूँ कि करण जी को इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। आज गांवों में लोग बिजली के लिए त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ढुल साहब, बैठिये दलाल साहब की बात पूरी नहीं हुई है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं जी.एस.टी. प्रणाली से रिलेटिड सभी बातें सदन में इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि यदि हरियाणा प्रदेश में आधुनिक संसाधनों के सुसज्जित हुए बिना जी.एस.टी. प्रणाली लागू हो जाती है तो इससे हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़ा अहित होगा। आज प्रदेश में बिजली आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश में जी.एस.टी. का महत्वपूर्ण अंग यानि आई.टी. सिस्टम भी कुछ ज्यादा संपन्न दिखाई नहीं देता जिसका साक्षात उदाहरण में साधारण से शब्दों में बयान कर सकता हूँ जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं तो हमारा मोबाईल आचानक से काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार यदि हम कंप्यूटर्ज में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डालेंगे तो निश्चित रूप से वह गर्म होकर काम करना बंद कर देगा। यह कुछ ऐसे साधारण से उदाहरण हैं जो दर्शातें हैं कि हरियाणा प्रदेश अभी तक जी. एस.टी. प्रणाली को लागू करने में सक्षम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. के माध्यम से सभी टैक्सों को एक टैक्स में सबशूम किया गया है। अतः वित्त मंत्री जी ने जी.एस.टी. प्रणाली को प्रदेश में लागू करने के लिए जो तैयारी की है, उस संदर्भ में मेरा पहला प्रश्न यही है कि क्या हरियाणा के वे अधिकारी जो इस जी.एस.टी.

प्रणाली की नई व्यवस्था में शामिल होकर काम करेंगे, क्या वे इस व्यवस्था के मुख्य अंग इंटरनेट व आई.टी. से संबंधित इक्विपमैंट्स को प्रोपर्ली संभाल पायेंगे? मेरा यह मानना है और निश्चित रूप से हरियाणा के लोगों को भी यह डर सता रहा है कि जी.एस.टी. प्रणाली के तहत आई.टी. विंग के माध्यम से सभी प्रकार की इंफर्मेशंज को सिस्टम में दर्ज करवाने की व्यवस्था अभी तक हरियाणा प्रदेश के पास उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा प्रदेश में जी.एस.टी. प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग यानि आई.टी. के लिए बेहतर व्यवस्था ही उपलब्ध नहीं है तो फिर कैसे बेहतरीन व्यवस्था के अभाव में, विभिन्न प्रकार की इंफर्मेशंज को सिस्टम में दर्ज करवाया जा सकेगा? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से जी.एस.टी. प्रणाली के बारे में एक दूसरी बात और जानना चाहता हूँ और वह यह है कि जी.एस.टी. प्रणाली में राज्यों का क्या रोल रहेगा? देखिये भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. एकट के संबंध में एक अथारिटी बनाई गई है और प्रावधान किया गया है कि इस अथॉरिटी द्वारा बनाये गए किसी टैक्स संबंधी विषय पर केवल जी.एस.टी. काउंसिल के माध्यम से ही चर्चा होगी। ऐसी अवस्था में संभव है कि यह अथॉरिटी मनमर्जी से किसी भी टैक्स को लागू कर देगी जिस पर न कोई बहस हो सकेगी और न कोई सवाल ही उठ पायेगा? अध्यक्ष महोदय, किस प्रदेश को कोई चीज सूट करती है या नहीं करती है, उस बारे में केवल जी.एस.टी. काउंसिल में ही चर्चा करने के प्रावधान से एक तरह से बंदिश ही बनती हुई दिखाई देती है जबकि इससे पहले कम से कम प्रदेश की विधान सभाओं को यह अख्तियार तो था कि जैसे कोई टैक्स लगना होता था या किसी तरह की कोई फीस लैवी करनी होती थी तो विधान सभा में सभी सदस्य संबंधित टैक्स के बारे में अपनी–अपनी बातें रखते थे और उस टैक्स से जुड़ी हुई लोगों की दुख व तकलीफों का भी जिक्र किया करते थे जिसकी वजह से अगर कोई टैक्स लोगों के हितों पर कुठाराघात करता था तो उसके लिए यथासंभव उचित कदम उठा लिए जाते थे लेकिन अब इस नई व्यवस्था के अस्तित्व में आ जाने के बाद जनता के हितों के विरूद्ध लगने वाले टैक्सों पर भी कोई जिक्र संभव नहीं हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, हर प्रदेश की अपनी–अपनी दिक्कतें होती हैं तथा अपने–अपने विशेष प्रकार के हालात होते हैं। यह ठीक है कि भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. एकट के संबंध में जो अथोरिटी बनाई गई है उसमें अपील करने तथा दूसरी प्रकार की गुंजाईशों का प्रावधान मौजूद हैं लेकिन प्रश्न यह है कि किसी टैक्स के संबंध में किसी प्रदेश का रोना–पीटना जब तक कंसंर्ड तक पहुंचेगा

तब तक उस प्रदेश को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होगा? अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात है कि विधान सभा के माध्यम से जनता की भावनओं के मद्देनज़र जनप्रतिनिधियों को जो किसी टैक्स या फीस लागू हो जाने के बारे ऐतराज करने का अधिकार प्राप्त था, उस अधिकार को इस जी.एस.टी. एक्ट के लागू होने के बाद, एक तरह से छीन लिया जायेगा। जी.एस.टी. एक्ट में दर्ज प्रावधान के हिसाब से अगर कोई गलत टैक्स लगता है तो उसके बारे में आमजन आवाज नहीं उठा पायेगा। आमजन किसी टैक्स के संबंध में सहज ही कोई आवाज उठा सके, इस तरह का प्रावधान जी.एस.टी. एक्ट में नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अब मैं मंडियों से प्राप्त होने वाली मार्किट फीस के बारे में बात करना चाहूंगा। हरियाणा, पंजाब व दिल्ली में रेगुलेटिड मंडियां हैं और हरियाणा प्रदेश में तो मंडियों से प्राप्त मार्किट फीस आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता है। वर्तमान परिपेक्ष्य में जी.एस.टी. प्रणाली लागू हो जाने के बाद मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अब मंडियों से प्राप्त होने वाली मार्किट फीस का क्या भविष्य रहेगा? क्या मार्किट फीस अभी भी चार्ज की जायेगी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मार्किट फीस के बारे में डेफिनेशन दी है कि मार्किट फीस इज नॉट ए फीस, दैट इज ए टैक्स। जब जी. एस.टी. एक्ट के माध्यम से सभी टैक्सिज को सबशूम कर दिया गया है तो संभव है

15:00 बजे

कि मार्किट फीस को भी जी.एस.टी. में शामिल कर लिया गया होगा ।ऐसी परिस्थिति में मेरा माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि मार्किट फीस के तौर पर जो पैसा पहले किसानों से या परचेजिंग एजेंसिज से कटता था, अब इस मार्किट फीस के पैसे को किसानों को दिए जा रहे फसलों के भाव के साथ जोड़कर किसान के नुकसान की भरपाई करने का काम किया जाये। मेरा कहना है कि मार्केट फीस का पैसा किसानों की जिंस के भाव के साथ जोड़ा जाए । सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए । स्पीकर सर, दूसरी बात इस बिल में टैक्स लगाने के लिए कैटेगरीज के हिसाब से टैक्स स्लैब्स की व्यवस्था की गई है । इन टैक्स स्लैब्स की संख्या 3–4 है । मुझे आशंका है कि इन टैक्स स्लैब्स की वजह से भी विवाद उत्पन्न होगा क्योंकि कौन–से आइटम्स 12 परसैंट टैक्स स्लैब में आएंगे, कौन–से आइटम्स 15–18 परसैंट टैक्स स्लैब में आएंगे और कौन–से आइटम्स 20–28 परसैंट टैक्स स्लैब में आएंगे यह अभी निर्धारित नहीं किया गया है । मेरे ख्याल से इस बिल में सरकार ने मैक्सीमम 20 परसैंट टैक्स का प्रावधान किया है । मेरा प्रश्न है कि इसका फैसला किस तरह से किया जाएगा कि किस प्रोडक्ट को किस टैक्स

स्लैब में रखा जाएगा ? हमें डर है कि कहीं दूसरे प्रदेशों को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा में बनने वाली वस्तुओं को ज्यादा टैक्स वाली स्लैब में रख दिया जाए और इस बिल के द्वारा हमारे प्रदेश के साथ धक्का न हो जाए तथा हमारे प्रदेश पर टैक्सों के रूप में ज्यादा भार न पड़ जाए । अगर ऐसा हुआ तो उद्योगपति हरियाणा से अपने उद्योगों को समेटकर चले जाएंगे और इसी तरह के अन्य नुकसान भी हरियाणा प्रदेश को झेलने पड़ सकते हैं । इसके अतिरिक्त इस बिल में जी.एस.टी. को लगाने वाली अथॉरिटी भी डिफाइन नहीं की गई है । मैंने जब जी.एस.टी. को लगाने वाली अथॉरिटी के बारे में पढ़ा तो पाया कि इसमें एक सदस्य भारत सरकार के अधिकारी होंगे और एक सदस्य राज्य सरकार के टैक्सेशन अधिकारी होंगे । इसमें लिखा है कि – "One person to be nominated by the Haryana Government." Speaker Sir, who shall be that person who will be nominated by the Haryana Government and what will be his or her qualifications? इसका क्राइटेरिया क्या होगा उसके बारे में भी सरकार को डिफाइन करना चाहिए । अगर इसे ऐक्ट में निर्धारित नहीं किया गया है तो रूल्ज में प्रावधान करना चाहिए कि उन मैम्बर्ज का क्या बैकग्राउंड होगा, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंज निर्धारित होंगी और इसका क्या क्राइटेरिया तय किया जायेगा ? अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार जी.एस.टी. में 20 लाख रूपये तक के कारोबार शामिल नहीं होंगे । इस प्रावधान से पहला विवाद तो यही उत्पन्न होगा कि हर व्यक्ति जो 20 से 50 लाख रूपये या 1 करोड़ रूपये तक का कारोबार करता है वह कोशिश करेगा कि हमें 20 लाख रूपये से नीचे रखा जाए ताकि हम जी.एस.टी. से बाहर हो जाएं । इतना बड़ा फैसला करने का यह अधिकार तमाम ऑफिसर्ज और अथॉरिटी को दिया गया है । इस बारे में कहा गया है कि every action taken by any officer, his action will be final. फिर उसके लिए कहा गया है कि ये अपीलेट अथॉरिटी होंगी । बिल में यह भी डिफाइन नहीं है कि स्टेट लेवल की अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी, कैसी होगी और यह अथॉरिटी कितने दिनों में फैसला करेगी । स्पीकर सर, भविष्य में इस पर भी बहुत ज्यादा विवाद होगा । गुरूग्राम जैसे शहर में अनेक आई.टी. सैक्टर और इंफर्मेशन टैक्नोलोजी से रिलेटिड कॉल सैंटर्ज हैं और उनमें हजारों लोग काम करते हैं । मेरा सवाल है कि सरकार उन्हें कौन–से स्लैब में रखेगी और इस बिल से हरियाणा प्रदेश को कितना ज्यादा नुकसान होगा ? अध्यक्ष जी, आपके शहर यमुनानगर में प्लाइवुड की इंडस्ट्रीज

हमारे पूरे देश में पहले या दूसरे नंबर पर है । उससे वहां के लोगों को बहुत सारा रोजगार और पैसा मिलता है । यमुनानगर की उन इंडस्ट्रीज से हरियाणा को बहुत ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है । आपकी सरकार को सदन में बताना चाहिए कि इस बिल से प्लाइवुड इंडस्ट्रीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? हमारे प्रदेश में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, एन्सिलरी यूनिट्स और अन्य औद्योगिक इकाइयां हैं इस बिल से उन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा हरियाणा सरकार द्वारा यह भी केन्द्र सरकार को बताना चाहिए । इसके अतिरिक्त इस बिल के तहत हर महीने रिटर्न भरने की व्यवस्था की गई है । हर इंडस्ट्री के लिए हर महीने रिटर्न भरना आवश्यक है । इसमें एक खामी यह है कि उस प्रोसैस में अगर किसी से गलती से गलत रिटर्न इंट्री हो गई तो उसको करैक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है । इसकी एक अन्य खामी यह है कि अगर किसी व्यक्ति या फर्म या कम्पनी की टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है और उसकी इंट्रीम आ गई तो इसमें व्यवस्था ऐसी है कि उसे एक दफा तो टैक्स भरना ही पड़ेगा । अतः इसमें गलत रिटर्न भरे जाने पर उसे करैक्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं है । एक बार जब टैक्स काट लेने के बाद ही उसे रिफंड किया जाएगा लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि उस टैक्स को कितने दिनों में रिफंड कर दिया जाएगा ? इसके अतिरिक्त इसमें उस व्यक्ति या फर्म द्वारा पे किये गये टैक्स पर इंट्रस्ट की भी कोई व्यवस्था नहीं है । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सरकारी विभाग डिलेड पेमेंट्स पर 18 परसैंट इंट्रस्ट ले रहे हैं । मैं पूछना चाहूंगा कि गलत रिटर्न के रूप में सरकार के पास जो पैसा जमा हो जाएगा और सरकार द्वारा वह पैसा व्यक्तियों या कम्पनियों को वापस करना है तो उस पर कितना इंट्रस्ट दिया जाएगा ? मेरा कहना है कि जब सरकार लेट रिसीट्स पर ब्याज ले रही है तो उसे बिना वजह गलत जमा हुए व्यक्तियों या कम्पनियों के टैक्स पर भी वापस करते समय इंस्ट्रस्ट की व्यवस्था करनी चाहिए । अध्यक्ष जी, आज हरियाणा सरकार इस जी.एस.टी. बिल को हरियाणा में भी पास कर देगी लेकिन इस बिल से बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी । इससे डेली यूज की वस्तुएं जिनकी घरों में हर घंटे जरूरत पड़ती है वे भी बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी । अध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि जो महँगाई आज ज्यादा बढ़ी हुई है, जी.एस.टी. बिल लागू होने के बाद साबुन से लेकर टूथब्रुश तक तथा मसाले आदि चीजों और कपड़ों पर और भी ज्यादा महँगाई की मार हरियाणा के लोगों पर पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या

माननीय वित्त मंत्री जी इन चीजों पर टैक्स में लोगों को कोई राहत देंगे, इस बात को भी सदन में बताने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. बिल लागू होने से मोबाईल और टेलीफोन जो आज हर आदमी की जरूरत की चीज़े बनकर रह गई हैं उनके बिलों में एकदम बढ़ोतरी हो जायेगी। इस बढ़ोतरी से आम आदमी के लिए बहुत बड़ी मुश्किले खड़ी हो जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के लागू होने से यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसमें लगने वाली सेवाएं न सर्विस मानी जायेगी और न ही इस बिल के दायरे में आएगी जो बहुत ही अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के बहुत से अच्छे और भी काम हैं मिसाल के तौर पर शादी सामारोह के कार्यक्रम ले लो। शहरों में उचित व्यवस्था न होने के कारण अधिकतर लोग शादी सामारोह के सभी कार्यक्रम बैंक्वेट हॉल में जाकर करते हैं, इस प्रकार से जी.एस.टी. बिल लागू होने से बैंक्वेट हॉल और अन्य चीजों पर महँगाई बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि इन शादी सामारोह पर भी रोक लगाने का कोई न कोई कानून अवश्य बनना चाहिए। उस कानून में कितने आदमियों की बारात आनी चाहिए, कितने लोगों का खाना बनना चाहिए और किस तरह से इंतजाम होना चाहिए आदि चीजों का उल्लेख हो। अध्यक्ष महोदय, शहरों में जगह न होने कारण अधिकतर बैंक्वेट हॉल जी.टी. रोड़ पर बने होते हैं। अध्यक्ष महोदय, जी.टी. रोड़ पर ही दुल्हा आगे–आगे चलता रहता है और बारात नशे में नाचते हुए पीछे–पीछे चलती है। इस तरह से सारे का सारा ट्रैफिक जाम में फंसा रहता है। इस तरह के आयोजन से पैसे की बर्बादी तो होती ही है साथ में जी.एस.टी. बिल लागू होने से टैक्स की मार भी लोगों पर पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से शहरों में लोग चंदा इक्ट्ठा करके गरीब लड़कियों की शादियां करते हैं तो उनके ऊपर भी इस टैक्स की मार पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ तक 2–4 मदों में रियायत देने की बात है, जो लोग गरीब आदमी की भलाई के लिए चंदा इक्ट्ठा करके उनकी बेटियों की शादी करवाते हैं उनको टैक्स से राहत देने के लिए इस बिल में प्रावधान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. बिल लागू होने से टैक्सेशन विभाग समाप्त हो जायेगा और इस विभाग में केवल शराब का ही काम रह जायेगा। अध्यक्ष महोदय, क्या इस विभाग को एफ.डी. में सबशूम करेंगे या इस विभाग को ज्यों का त्यों रखेंगे, इस बारे में भी माननीय मंत्री जी को सदन में बताना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कई टैक्सिस तो ऐसे होंगे जिनमें 90

प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का होगा और 10 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार का होगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी दोनों सरकारों का तालमेल बिगड़ेगा क्योंकि राज्य सरकार कहेगी कि हमें 10 प्रतिशत में रखें और केन्द्र सरकार कहेगी कि हम 10 प्रतिशत में ही रहेंगे। जहाँ मुनाफा कम होगा वहाँ दोनों सरकारें एक–दूसरे पर अपना–अपना हिस्सा डालेगी। इस तरह से कोई भी सही फार्मूला इस बिल में व्यक्त नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जैसे एक करोड रूपये से कम के जो टैक्सिज हैं उसमें आधा–आधा हिस्सा यानी 50–50 प्रतिशत में कौन–कौन हिस्सेदार होंगे यह भी इस बिल के स्लैब में तय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. बिल लागू होने से सरकार को फिटनैस सैन्टर की बजाय हैल्थ क्लब या फाइव स्टार होटल्ज पर टैक्स लगाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, गांवों में फिटनैस सैन्टर जो हैल्थ सैन्टर बने हुए हैं वहाँ पर गांव के बच्चे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक्सरसाईज़ करने जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, गांवों व शहरों में जो फिटनैस सैन्टर बने हुए हैं उसको जी.एस.टी. बिल के टैक्स से छुटकारा मिलना चाहिए। गरीब आदमी को फिटनैस सैन्टर से जो राहत मिलती है अगर वह राहत नहीं मिलेगी तो लोगों को बड़ी दिक्कतें आ जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. बिल में फाईनेंशियल ईयर का कोई भी जिक्र नहीं है। भारत सरकार ने तो कह दिया है कि फाईनेंशियल ईयर जनवरी महीने से लेकर दिसम्बर महीने तक होगा। अभी मध्यप्रदेश सरकार ने भी कह दिया कि हमारा फाईनेंशियल ईयर जनवरी महीने से लेकर दिसम्बर महीने तक होगा। इस प्रकार से हरियाणा सरकार को भी बताना चाहिए क्योंकि जब जी.एस.टी. बिल लागू होगा तो अगर भारत सरकार ने फाईनेंशियल ईयर जनवरी महीने से लेकर दिसम्बर महीने तक किया है तो हरियाणा सरकार का इस पर क्या स्टैण्ड होगा? अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि जो फाईनेंशियल ईयर जनवरी महीने से लेकर दिसम्बर महीने किया है वह कामयाब होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब तक यह व्यवस्था सही तरीके से लागू नहीं होती तब तक जैसी व्यवस्था चलती आ रही है वैसी ही चलाएं तो बेहतर है। अन्यथा माननीय मंत्री जी को सदन में यह बताना होगा कि जी.एस.टी. बिल लागू होने से हरियाणा का फाईनेंशियल ईयर जनवरी महीने से दिसम्बर महीने तक होगा या फिर मार्च महीने तक होगा। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से रियल एस्टेट क्षेत्र के बारे में आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट के क्षेत्र से भी हमारी बहुत सी गतिविधियां जुड़ी हुई हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी कमाई

रियल एस्टेट क्षेत्र में ही थी। यह ठीक है कि आजकल रियल एस्टेट क्षेत्र में काफी मंदा है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने जमीनों के कलैक्टर रेट बहुत बढ़ा दिये हैं यह एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जमीन और फ्लैट्स की इतनी कीमत नहीं है जितनी कीमत उस जमीन और फ्लैट्स को खरीदने में कलैक्टर रेट के पैसे अदा करने पड़ते हैं। इस प्रकार इन बढ़े हुए कलैक्टर रेट्स की मार आम आदमी पर क्यों पड़े। इन बढ़ी हुई कीमतों का आकलन करने के लिए एक अथॉरिटी कंस्टीट्यूट की जानी चाहिए। यह अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जाकर अध्ययन करे कि कौन से एरिया में जमीन का कितना कलैक्टर रेट है और वह कलैक्टर रेट्स रियल एस्टेट की कीमतों से टैली करता है या नहीं। इसके अतिरिक्त सरकार ने रियल एस्टेट रैगुलेशन एक्ट के नियम लागू किये हैं इस एक्ट में जी.एस.टी. की तो धजियां उड़ जाएंगी। जबकि भारत सरकार के कानून में यह प्रावधान है कि जो एग्जिस्टिंग अनकंपलीटिड प्रोजैक्ट्स हैं वे प्रोजेक्ट्स इस बिल में शामिल होंगे। लेकिन हरियाणा सरकार के रूल्ज कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग नॉन कंपलीटिड प्रोजेक्ट्स हैं वे प्रोजेक्ट्स इस बिल में शामिल नहीं होंगे। अगर इन प्रोजैक्ट्स को जी.एस.टी. बिल में शामिल नहीं किया गया तो फिर हरियाणा में इस एक्ट के कारण कोई नया प्रोजैक्ट नहीं आएगा और पुराने प्रोजैक्ट्स को सरकार इसमें शामिल नहीं कर रही है तो यह एक्ट केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा यानि इससे कोई लाभ नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि जो ये रियल एस्टेट रैगुलेशन एक्ट के रूल्ज हैं इनमें अमैंडमैंट किया जाए ताकि आम उपभोक्ता को इसका लाभ मिल सके और उसी के मुताबिक रूल्ज को लागू करें। इसके अतिरिक्त पार्टली कंप्लीशन के लिए भी अब सरकार द्वारा आक्यूपैंसी सर्टीफिकेट दिया जाएगा। यदि पार्टली सर्टीफिकेट दिया जाएगा तो कोई रूल फालों नहीं करेगा और न ही उपभोक्ताओं को कोई लाभ होगा। इसके अतिरिक्त जी.एस.टी. प्रणाली से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। पैट्रोलियम प्रोडेक्ट्स पर भी वैट बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने प्रदेश के पैट्रोल/डीजल पम्प्स को चैक किया तो वहां पर टैम्परिंग ऑफ मीटर पाया गया और सब स्टैंडर्ड डीजल/पैट्रोल पाया गया। जब हरियाणा का व्यक्ति इतना वैट पैट्रोल पम्पस मालिकों को दे रहा है। तो उपभोक्ताओं को शुद्ध पैट्रोल/डीजल मिलना चाहिए। इसके लिए हरियाणा सरकार को सभी पैट्रोल/डीजल पैम्प्स को चैक करवाना चाहिए और कोई पैट्रोल/डीजल पैम्प तय मानकों पर खरा नहीं

उतरता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं के साथ न्याय हो सके।

श्री कुलदीप शर्मा (गन्नौर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी श्री बक्शीश सिंह विर्क ने स्वयं बरला का पैट्रोल पम्प चैक किया तो उसमें अनियमितताएं पायी गयी जो कि हरियाणा सरकार का ही उपक्रम है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह चिन्ता की बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार उन पैट्रोल पैम्पस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो हरियाणा सरकार को भी उन पैट्रोल पैम्प मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो पैट्रोल पंप्स मालिक टैम्परिंग ऑफ मीटर कर रहे हैं या सब स्टैंडर्ड तेल दे रहे हैं। जी.एस.टी. बिल पास होने पर भी उन पैट्रोल/डीजल पम्प्स मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि उपभोक्ता टैक्स वहन कर रहें है इसलिए उन्हें पैट्रोल/डीजल शुद्ध मिलना चाहिए। पावर बिल भी जी.एस.टी. प्रणाली में आएगा तो क्या वजह है कि हरियाणा के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है आप उनको जी.एस.टी. प्रणाली में शामिल करके टैक्स लागू कर रहे हैं। वर्तमान समय में अगर प्रदेश के लोगों को बिजली न मिले तो यह अच्छी बात नहीं है। हमारे पलवल जिले में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं आ रही है।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने बिजली की समस्या के बारे में बताया है। हरियाणा प्रदेश में आज डोमैस्टिक सप्लाई के लिए 12 घंटे बिजली दी जाती है, एग्रीकल्चर के लिए 8 घंटे तथा इंडस्ट्रीज के लिए 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रदेश के 1280 फीडर्ज में 12 घंटे तथा 302 फीडर्ज में 12 से 15 घंटे आपूर्ति दी जा रही है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए 19 फीडर्ज में 24 घंटे , एक फीडर में 21 घंटे तथा अन्य 34 फीडर्ज पर 18 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है। जिला पंचकुला में विशेषकर 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में 4,400 करोड़ रूपये बिजली के बिलों का पैसा बकाया है। इसमें रोहतक में 384 करोड़ रूपये, कैथल में 305 करोड़ रूपये, भिवानी में 628 करोड़ रूपये तथा जीन्द में 1261 करोड़ रूपये बिजली के बिलों के पैसे बकाया है। इन बकाया बिलों के बावजूद भी हरियाणा सरकार जगमग योजना के तहत पूरे प्रदेश में बिजली देने के लिए वचनबद्ध है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, क्या ये बकाया बिल भी जी.एस.टी. बिल का हिस्सा हैं।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, बिजली के बकाया बिलों की अदायगी करना प्रदेश सरकार का काम है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने एक पुलिस ऑफिसर को सभी बिजली की कंपनियों का मालिक बना रखा है और वह अधिकारी बिजली की कम्पनियों को नहीं बल्कि बिजली के थानों को चला रहा है। अगर सरकार जांच करेगी तो इस बारे में पता चल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेवात, सिरसा और कैथल के जो इलाके हैं, उनको सरकार पिछड़े हुए इलाके घोषित करके, उन इलाकों में लोगों को रोजगार देने के लिए, तरक्की प्रदान करने के लिए, उन इलाकों को बैकवर्ड एरिया घोषित किया करती थी। सरकार उन इलाकों में टैक्स में छूट दिया करती थी, लेकिन इस नए जी.एस.टी बिल में वह खत्म कर दिया गया है। अगर सरकार किसी पिछड़े हुए इलाके को आगे लाना चाहती है तो इस नए जी.एस.टी बिल के मुताबिक सरकार नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार के पास ऐसे अधिकार होने चाहिंए, जिससे वह बैकवर्ड इलाके को छूट दे सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक आखिरी सुझाव देना चाहता हूं कि अगर हम विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री जी को कोई सुझाव या सलाह देते हैं तो मुख्यमंत्री जी को उस पर गौर करना चाहिए। पिछले दिनों मैंने और श्री कुलदीप शर्मा जी ने करनाल में एक प्रैस कांफ्रेस की थी और हमने एक कागज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम प्रैस को दिया था, जिसमें पलवल और उसके दूर–दराज के इलाकों में जो माइनिंग का गैर–कानूनी काम किया जा रहा है, उसके बारे में था। जिसमें कहा गया था कि माइनिंग का जो पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए, वह पैसा सरकार के खजाने में नहीं जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जी.एस.टी बिल के अंतर्गत जो पैसा सरकारी खजाने के अंदर आना चाहिए, वह पैसा खजाने में जमा नहीं किया जा रहा है। मंत्री जी, हमें यह बताएं कि अभी तक माइनिंग के जितने लीज होल्डर्स हैं, उनको कितने साल की लीज दी गई है, कितने सालों से वह काम कर रहे हैं और कितनी आउटस्टैंडिंग पैमेंट उनके खिलाफ खड़ी हुई है ?

इसका पता लगाया जाए और अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, यह जी.एस.टी बिल का हिस्सा नहीं है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माइनिंग भी जी.एस.टी प्रणाली में ही आता है, माइनिंग भी जी.एस.टी का ही पार्ट है और उसकी भी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस जी.एस.टी बिल के लिए हाउस की एक कमेटी बना दी जाए, क्योंकि आने वाले समय में यह जी.एस.टी प्रणाली हमारे हरियाणा प्रदेश को प्रभावित करेगी। पांच सालों के बाद जब हमारे नुकसान की भरपाई नहीं होगी और उसकी सुनवाई नहीं होगी तो इसके लिए कोई हाउस की कमेटी होनी चाहिए, जिससे उसमें सुधार किया जा सके। इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री परमिंद्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, यह 140 पेज का जी.एस.टी बिल है। क्या यह संभव है कि इसे हम 5 मिनट में डिटेल से पढ़कर इस के लिए सुझाव भी दे दें।

श्री अध्यक्ष : परमिंद्र सिंह जी, यह पुराना पैटर्न है, इस बार इसको चलने दिया जाए। कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में यह फैसला हो गया है कि आगे से कोई भी बिल सदन में पेश किया जायेगा तो यह कम से कम पांच दिन पहले कार्यालय में अनुमति के लिए प्रस्तुत होगा अन्यथा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा इससे बिल की कॉपी सभी सदस्यो को समय पर उपलब्ध करवायी जा सकेगी।

श्री परमिंद्र सिंह ढुल (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी व्यापारी गतिविधि पर जवाब दें, चाहे वह स्टेट का जी.एस.टी बिल हो या सैंट्रर का जी.एस.टी बिल हो। सारे जी.एस.टी के अंतर्गत इस तरह की व्यापारी गतिविधियां जारी रहेंगी, क्योंकि इसके अंदर प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यापारी किसी व्यापारी की जानकारी लीक करता है तो उसको अधिकतम जुर्माना 25 हजार रुपए और 6 महीने की सजा है, जोकि बहुत कम है। इस तरह से तो किसी भी व्यापारी की सूचनाओं को जान–बूझकर लीक कर दिया जाएगा। जिस संस्थान की सूचनाओं को लीक किया जाता है, उससे उस संस्थान का बहुत–बड़ा नुकसान होता है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इसकी सजा बढ़ाकर कम से कम 10 साल करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि जो सैंट्रल जी.एस.टी है, वह इकट्ठा होकर कांसोलिडेटिड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा और उसकी देखभाल पार्लियामेंट या पी.ए.सी करेगी, लेकिन जो पैसा इंटिग्रेटेड जी.एस.टी से राज्यों द्वारा एकत्रित करके संघ सरकार को जाएगा, उसकी देखभाल क्या हरियाणा की पी.ए.सी करेगी या हरियाणा की विधान सभा करेगी ? इसका जवाब मंत्री जी मुझे बताएं ? अध्यक्ष महोदय, जो` 0,5,12,18,28 प्रतिशत के कैप बताए गए हैं, इसके अंदर अलग से 15 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। यहां पर अनियमितता यह बनी हुई है कि 0 में कौन सा आयेगा, 5 में कौन–सा आएगा और 12 में कौन–सा आएगा। अध्यक्ष महोदय, सैंट्रल गवर्नमैंट से भी कैप फाईनल नहीं है, जब सैंट्रल गवर्नमैंट की तरफ से कैप फाईनल हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि किस–किस कैप में कौन–सा आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह जल्दबाजी में नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे इन तीन बिंदुओं पर अपना जवाब अवश्य दें।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. का बिल आज हरियाणा विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है जिस पर हमारे कुछ माननीय विधायकों ने जिज्ञासाएं प्रस्तुत की हैं और उनकी इस बारे में हरियाणा प्रदेश को लेकर कुछ शंकाएं और आशंकायें भी हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन को बताना चाहूंगा कि इस बिल को प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी खुशी और गर्व है । जी.एस.टी. बिल देश के आर्थिक इतिहास का क्रांतिकारी मोड़ साबित होने वाला है। जी.एस.टी. बिल की जो पूरी व्यवस्था है यह देश की कर व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देगी जिसका सभी को लाभ मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. बिल को लागू करने के लिए करीबन 30 साल पहले दूसरे देशों में चर्चा शुरू हुई थी और कुछ देशों में यह सफल प्रयोग के रूप में उभरकर सामने आया है । हमारे देश में भी इसे 10–12 साल पहले लागू करने के लिए चर्चा शुरू हुई और इसे लागू करने के प्रयास भी किए गए । अब 1 जुलाई, 2017 से जी.एस.टी. का कानून सही मायने में हमारे देश में लागू होकर यथार्त होगा । इस बिल की जो पूरी यात्रा है उसके लिए मैं पिछली यू.पी.ए. सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उसके समय में भी इस बिल को लागू करने के लिए काम किया गया और उसकी तैयारी की गई । उस सरकार के समय में भी पूरे प्रयास किए गए कि जी.एस.टी. कानून लागू हो जाये । इस बिल को लागू करने की यात्रा धीरे–धीरे

पिछली सरकार के समय में भी आगे बढ़ी । इस बिल को लागू करना एक भागीरथ प्रयास था । क्योंकि देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के हितों का ध्यान रखते हुए इस बिल पर गहन अध्ययन हुआ है । अब जाकर सार्थक प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा किया गया है जिसमें विपक्ष के साथियों का भी पूरा साथ मिला है । हमारे साथी करण सिंह दलाल जी वरिष्ठ साथी हैं जिनको बहुत अनुभव भी है । इन्होंने बहुत से प्रशासनिक प्रश्न इस बिल पर पूछे हैं जिनका जवाब देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं । दलाल साहब, ने पहला सवाल किया कि जो जी.एस.टी. काउंसिल है उसका गठन होना बाकी है । इस बारे में मैं दलाल साहब को इस महान सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जी.एस.टी. काउंसिल का गठन हो चुका है जिसकी अब तक 13 मीटिंग्ज भी हो चुकी हैं । इसकी 31 मार्च को 13वीं मीटिंग हुई थी और 14वीं मीटिंग 18–19 मई को श्रीनगर में दो दिवसीय होगी । अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. काउंसिल भारत के संविधान में एक अनूठा प्रयोग है । हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत के कॉपरेटिव फैडरेलिज्म में नया प्रयोग करके इसे देश के सामने रखा है और उसी का परिणाम है कि इस जी.एस.टी. काउंसिल में केन्द्र और राज्यों के अधिकारों का बराबर समावेश किया गया है । पहले जिस प्रकार से केन्द्र सरकार के अपने कर लगाने के अधिकार थे और राज्य सरकारों के अपने कर लगाने के अधिकार थे। All the State Governments as well as the Central Government have been pooled in one GST Council. इस जी.एस.टी. काउंसिल में केन्द्र और राज्यों के कर लगाने के जो स्वायत अधिकार थे उनको इस जी.एस.टी. काउंसिल में समर्पित कर दिया गया है । इस जी.एस.टी. काउंसिल में राज्यों के अधिकारों का भी ध्यान रखा गया है । केन्द्र सरकार राज्यों के अधिकार का हैजेमोनी न कर ले इसलिए इस जी.एस.टी. काउंसिल में इकवल्ली अधिकार स्थापित किए गए हैं और किसी भी विषय पर कंसैंसस का वातावरण बने इस तरह के प्रावधान किए गए हैं । अब तक 13 मीटिंग्ज जी.एस.टी. काउंसिल की वित्तमंत्री अरूण जेटली जी की अध्यक्षता में हुई हैं और उनमें सभी निर्णय कंसैंसस से हुए हैं। जी.एस.टी. का बिल संसद में पास हो चुका है और इससे संबंधित दूसरे बिल भी संसद में पास हुए हैं । ये सारे के सारे कानून वोटिंग का प्रावधान होने के बावजूद कंसैंसस से पास हुए हैं । मैं यह बात पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जी.एस.टी. काउंसिल में अब तक की यात्रा पूर्ण कंसैंसस के आधार पर हुई है। इसका श्रेय सभी पार्टियों के सभी सदस्यों को जाता है। मैं उस जी.एस.टी. काउंसिल के मैम्बर के तौर पर यह बात कह

रहा हूं। मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि इस जी.एस.टी. काउंसिल में सभी पार्टियों के सदस्य हैं। इस काउंसिल में कांग्रेस पार्टी के साथ ही साथ देश की लगभग सभी रीजनल पार्टियों के सदस्य भी हैं। भारत वर्ष के सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इस जी.एस.टी. काउंसिल में हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ–साथ पूरे देश के सभी क्षेत्रीय दलों की भी सहमति है चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर कोई दूसरी पार्टी। इस बिल के केवल सैक्शन नम्बर 173 और 174 को छोड़कर देश की संसद में सभी दलों के सहयोग से इस बिल को सर्वसम्मति से पास करने का काम किया गया है। यहां पर अक्षरक्षः उसी बिल को प्रस्तुत किया गया है। इस बिल को कांग्रेस पार्टी और बाकी दूसरे लगभग सभी दलों के सहयोग से संसद में पारित करवाने का काम किया गया है। इस प्रकार से यहां पर उसी जी.एस.टी. बिल को प्रस्तुत किया गया है जो सर्वसम्मति से भारत की संसद में पास हो चुका है। फिर भी माननीय सदस्यों द्वारा इस बिल के सम्बन्ध में जो सवाल उठाये गये हैं और जो चिंतायें ज़ाहिर की गई हैं मैं उन सभी का जवाब देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं इसलिए मैं उन सभी का जवाब जरूर दूंगा। माननीय सदस्यों द्वारा जी.एस.टी. के सम्बन्ध में तो सवाल पूछे गये हैं उनके अलावा माननीय सदस्यों द्वारा कुछेक सवाल ऐसे भी पूछे गये हैं जो जी.एस.टी. से बाहर के हैं। माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखते हुए जी.एस.टी. को बहुत व्यापक बना दिया है। मैं भी यह बात स्वीकार करता हूं कि जी.एस.टी. एक ऐसा विषय है जिसमें जो भी कोई अर्थ व्यवहार कहीं पर भी होगा अंततोगत्वा उस पर जी.एस.टी. जरूर लागू हो जायेगा। इस प्रकार से जी.एस.टी. को असीमित विस्तार दिया जा सकता है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जी.एस.टी. के अस्तित्व में आने पर हरियाणा के आर्थिक हितों को किसी भी प्रकार का कोई नुक्सान नहीं पहुंचेगा। इस सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने यह चिंता व्यक्त की है कि जी.एस.टी. के अस्तित्व में आने के बाद हरियाणा प्रदेश के रेवेन्यू का लॉस होगा। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जी.एस.टी. के अस्तित्व में आने के बाद हरियाणा प्रदेश के रेवेन्ये को प्रोटैक्ट करने के लिए वित्त मंत्री के रूप में जी.एस.टी. काउंसिल का मैम्बर होने के नाते जिस प्रकार से हमने हरियाणा के पक्ष को रखा है उससे प्रदेश के रेवेन्यू पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। मैं यहां पर यह बात भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जी.एस.टी. काउंसिल में हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए हमने हरियाणा के आर्थिक हितों के विषय को मजबूती के साथ उठाया था जिसका परिणाम यह हुआ कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद पांच साल तक हरियाणा स्टेट के जो भी रेवेन्यू आयेंगे और अगर पहले के रेवेन्यू से वे कम होंगे तो वर्ष 2015–16 के साल को बेस ईयर मान कर साल–दर–साल 14 प्रतिशत की वृद्धि दर को इसमें शामिल करके पांच साल तक केन्द्र की तरफ से जी.एस.टी. काउंसिल के

निर्देशानुसार कम्पनसैशन दिया जायेगा। केन्द्र सरकार इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए बाध्य होगी। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री ज्ञान चंद गुप्ता चेयर पर आसीन हुए।)** जो यह 14 परसैंट की ग्रोथ है यह हरियाणा प्रदेश के हित में इसलिए है क्योंकि जब हमने 2015–16 से पहले के सालों की ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी देखी तो वह लगभग 10 से 11 परसैंट की रेंज के अंदर थी । अगर देश के दूसरे राज्यों के साथ हरियाणा प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो हम पायेंगे कि देश के दूसरे राज्यों की ग्रोथ हमसे ज्यादा थी। इस प्रकार से 14 परसैंट की ग्रोथ रेट को तय करने में हरियाणा प्रदेश को लाभ हुआ है। पांच साल तक हमें यह कम्पनसैंशन मिलेगा जो हमारे प्रदेश के पूरे रेवेन्यू के ग्रोथ ट्रेजैक्टरी को प्रोटैक्ट करने वाला रहेगा। इस सम्बन्ध में मैं आगे यह बताना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जी. एस.टी. के अस्तित्व में आने के बाद हमारे टैक्स सबशूम हो जायेंगे। इस बारे में यह भी पूछा गया है कि हमारे कौन–कौन से टैक्सिज को प्रोटैक्ट किया जायेगा और पांच साल के बाद हमारे प्रदेश की क्या स्थिति होगी? इस बारे में मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हरियाणा की इकॉनोमी एक मैच्योर इकॉनोमी है। देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में से हरियाणा को एक माना जाता है। जहां तक मैच्योर इकॉनोमी का सम्बन्ध है मैच्योर इकॉनोमी का यह मतलब होता है कि हमारी इकॉनोमी का जो ढ़ांचा है उसमें प्राईमरी सैक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की इकॉनोमी में प्राईमरी सैक्टर का कंट्रीब्यूशन 17–18 परसैंट है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश की इकॉनोमी में सैकण्डरी सैक्टर का कंट्रीब्यूशन 28 से 30 परसैंट है। ऐसे ही हरियाणा प्रदेश की इकॉनोमी में ट्रर्सरी सैक्टर का कंट्रीब्यूशन 50 परसैंट से ज्यादा है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पर सर्विस सैक्टर मैच्योर हो चुका है वह मैच्योर इकॉनोमी का अपने आप में एक पुख्ता प्रमाण है। हरियाणा प्रदेश को इससे लाभ होने की पूर्ण उम्मीद हैं । उसका कारण यह है कि जी.एस.टी. के माध्यम से केन्द्र सरकार के रेवेन्यू के अंदर भी हमें अपना हिस्सा मिलेगा। जो सर्विस सैक्टर के ऊपर नया सर्विस टैक्स लगने वाला है यह बात सही है कि वह सर्विस सैक्टर की कंजम्पशन पर ही लगेगा। हमने अपने सर्विस टैक्स की कैलकुलेशन निकाली है। हरियाणा प्रदेश से जो भी सर्विस टैक्स कलैक्ट होगा उसमें हरियाणा प्रदेश को 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। विभाग ने जो आकलन किया है उसके मुताबिक 7300 करोड़ रूपये की इनकम सर्विस टैक्स में अपने हिस्से के रूप में हरियाणा प्रदेश को मिलनी चाहिए जो कि अब तक प्राप्त नहीं होती थी। ऐसे हमारे विभाग का अनुमान है। इस प्रकार से जी.एस.टी. के अस्तित्व में आने के बाद एडीशनल टैक्सैशन के हमें जो अवेन्यूज़ मिल रहे हैं उससे जो हरियाणा प्रदेश एक मैन्युफैक्चरिंग इकॉनोमी

थी उसमें हमारी यह चिंता थी कि ये टैक्सिज मैन्युफैक्चरिंग पर न लगकर कंजम्पशन पर लगेंगे जिसके परिणामस्वरूप कहीं हमारे रेवेन्यू घट न जायें इस बात की हम सभी को चिंता थी लेकिन हमारे सर्विस सैक्टर की जो मैच्योरिटी है वह हमें आश्वस्त करती है कि जी.एस.टी. के अस्तित्व में आने के उपरांत सर्विस टैक्स के माध्यम से हमें एडीशनल रेवेन्यूज मिलेंगे जिस कारण हमारा नुक्सान नहीं होना चाहिए। मैं अपने विभाग के आकलन के आधार पर इस बात का पूरे सदन को आश्वस्त करते हुए विश्वास दिलवा सकता हूं। इसी प्रकार से मार्किट फीस का भी जिक्र आया है। मार्किट फीस के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमारी मंडियों में हमारी फसलों की आवक पर जो मार्केट फीस लगती है क्या उसको भी जी.एस.टी. के दायरे में लिया जायेगा । उस बारे में मेरा कहना है कि मार्किट फीस को जी.एस.टी. में सबस्यूम नहीं किया गया है यानी मार्केट फीस राज्य के मंडी बोर्ड को मिलती रहेगी । इसी प्रकार से माननीय सदस्य ने चर्चा के दौरान कहा था कि 5,12,18 और 28 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स के 4 स्लैब बनाये गये हैं । इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिनको तथाकथित सिन गुड्स कहा जाता है जिनमें तम्बाकू उत्पाद या लग्जरी आइटम्स हैं उन पर अतिरिक्त सैस लगाने का प्रावधान भी किया गया है । इस बारे में पूरी जी.एस.टी. काउंसिल तथा सर्वदलीय प्रतिनिधियों ने मिल कर एक बहुत बड़ा रैशनल फैसला करने की कोशिश की है । इसके साथ ही साथ माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल ने चिन्ता व्यक्त की है कि आम आदमी की रोजमर्रा के उपभोग की सेवाओं और वस्तुओं पर टैक्स लगने से उनकी कीमतें न बढ़ जायें । इस बारे में जी.एस.टी. काउंसिल ने एक विस्तृत योजना बना कर, आकलन करके और बहुत माइंड अप्लाई करने का काम किया है । जैसा साथी दलाल साहब ने बताया कि अभी तक यह नहीं बताया गया है कि किस गुड्स पर तथा किस सर्विस पर कौन सा टैक्स लगेगा और वह कौन सी स्लैब में जायेगा । इसके लिए एक फिटमैंट कमेटी बनाई गई है जो जी.एस.टी. काउंसिल के तहत काम कर रही है । वह कमेटी इस बारे में एक–एक आइटम पर स्टडी करेगी और इस बारे में अधिकारियों की एक मीटिंग हो चुकी है और मुझे लगता है कि इस बार जो जी. एस.टी. काउंसिल की 14वीं मीटिंग होगी उसमें इस फिटमैंट कमेटी का पहला प्रारूप हमारे सामने आ सकता है । उसमें हमने कुछ सिद्धांत तय किये हैं और मुख्य रुप से सिद्धांत यह है कि आम आदमी के उपभोग की सेवाएं और वस्तुयें जो सीधी आती हैं जो इनफ्लेशन का कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स (सी.पी.आई.) है और सी.पी. आई. में कंट्रीब्यूट करने वाले रोजमर्रा के ऐसे आइटम्स हैं जो एक आकलन के

आधार पर लगभग 49.5 प्रतिशत हैं, इन आईटम्स को छांटा गया है जो टोटल वेटेज लगभग 50 प्रतिशत मान लीजिए जो उसको प्रभावित करेंगे उनको ऐसे स्लैब में रखने का एक प्रस्ताव बनाया है कि पहले उन पर केन्द्र और राज्यों का जो कुल टैक्स बनता था उसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि हर आइटम को ऐसे स्लैब में रखा जाये या क्यूमुलेटिवली उसका ऐसा इम्पैक्ट आये कि उनकी कीमतें पहले से बढ़ने की बजाय आम उपभोक्ता को कुछ रिलीफ मिले । जी.एस.टी. काउंसिल के माध्यम से इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने एंटी प्रोफिटेयरिंग अथॉरिटी के बारे में कहा है और केन्द्र सरकार ने भी उसमें उसको शामिल किया है । हरियाणा में भी जो एंटी प्रोफिटेयरिंग अथॉरिटी बनेगी तो जैसा आपने अभी कहा कि हम कोशिश करेंगे वस्तुओं की कीमतें न बढ़ें तो वह अथॉरिटी कौन–कौन से आइटम्स की कीमतों को कंटेन करने की कोशिश करेगी? इसके बारे में आप आज न बताना चाहें तो कोई बात नहीं लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाये कि आने वाले दिनों में यह अथॉरिटी एक महत्वपूर्ण अथॉरिटी होगी । जिस तरीके से किसानों की एम.एस.पी. तय करने का फार्मूला है, यह एंटी प्रोफिटेयरिंग अथॉरिटी भी उसी तरीके से काम करेगी । जो बड़े धनाढ्य लोग हैं जो ज्यादा पैसे वाले कारपोरेट्स हैं उनको इससे दूर रखा जाना चाहिए । इसके अलावा जो एंटी प्रोफिटेयरिंग अथॉरिटी है उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि जो गरीब दुकानदार हैं और छोटे उद्योगपति हैं उनको नुकसान न हो ।

कैप्टन अभिमन्यु : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि जो एंटी प्रोफिटेयरिंग अथॉरिटी का गठन किया है जिसका जी.एस.टी. काउंसिल में प्रावधान किया गया है । उस संबंध में मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि इस के लिए सबसे पहला प्रस्ताव हरियाणा प्रदेश ने देने का काम किया था । जी.एस.टी. लागू होने के बाद जी.एस.टी. की दर कम होने के कारण से जो लाभ है वह आम उपभोक्ता तक पहुंचना चाहिए कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए कि वह लाभ आम उपभोक्ता के पास न जाकर ट्रेडर व डीलर के स्तर पर ही रह जाए । इस बात को लेकर यह जी.एस.टी. कम्पीटिशन ऑफ इण्डिया जो है उसकी तर्ज पर एक ऐसा इंस्टीच्यूशन जो एक कमीशन के तौर पर काम करे जिसके पास ऐसी ताकत हो कि जो भी आदमी इसके माध्यम से कोई एक्स्ट्रा प्रोफिटेयरिंग करने की कोशिश करता है या उसके प्रावधानों का लाभ उठाने की

कोशिश करता है तो उन पर कोई सख्त कार्रवाई की जा सके और यह इंस्टीटयूश्न जी.एस.टी. काउंसिल के अन्तर्गत काम करेगा । उसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सामूहिक प्रयास होगा । इसमें हरियाणा का कहीं पर भी कोई ऐसा विषय आएगा जिसका संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए स्वाभाविक है कि उस विषय का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी । माननीय सदस्य ने एक विषय और रखा था कि हरियाणा की ऐसी कई पुरानी इंडस्ट्रीज हैं जिन इंडस्ट्रीज में लम्बे समय से हरियाणा की पूर्व की सरकारों ने प्रयास करके या हरियाणा के उद्योगपतियों ने और उद्धमियों ने मेहनत करके एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज और एक ट्रेड का एक ईको सिस्टम खड़ा करने का काम किया है । जिसके कारण से हरियाणा की अर्थ व्यवस्था चलती है और बहुत लोगों को रोजगार मिलता है । हरियाणा से संबंधित ऐसे जितने भी विषय हैं जहां हमें लगा कि इन विषयों को लेकर के विशेष रूप से जी.एस.टी. काउंसिल में अपना रिप्रैजैंटेशन मजबूती से देना चाहिए उस हर आईटम पर हमने पूरी एक्सरसाईज की है । चाहे वह प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हो, चाहे वह हमारे यहां का जूता उद्योग हो, चाहे और भी हमारे यहां की इस प्रकार की इंडस्ट्रीज हो जैसे पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैं, फर्नीशिंग्स की इंडस्ट्रीज हैं । हमारे कई बर्तन उद्योग हैं । इसके अलावा हमारे यहां पर आई.टी. इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीज हैं । इन सभी इंडस्ट्रीज को लेकर हम एक एक्सरसाईज करके कॉंशियसली इस बात को लेकर प्रयास करने वाले हैं । भले ही हमें वहां से मैनीफैक्चिरिंग पर उस रूप में टैक्स नहीं मिलेगा लेकिन वह हमारी अर्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं । वह हमारी अर्थ व्यवस्था में हिस्सेदार हैं । उन्होंने सरकार के साथ मिलकर अपने आप को यहां पर ग्रो किया है और यहां के नौजवानों को रोजगार दिया है । इन इंडस्ट्रीज ने यहां की अर्थ व्यवस्था में अपना योगदान देने का काम किया है । हम उस पूरे इको सिस्टम को प्रोटैक्ट करते हुए उनको साथ लेकर के चलें इस बात की पूरी चिन्ता हमने वहां पर की है । जी.एस. टी. पूरे देश भर का एक ऐसा कानून है जिसके बारे में दुनिया भर में अनेक प्रयोग हुए हैं इसलिए हम उसमें बहुत ज्यादा विविधताएं नहीं रख सकते हैं । इसमें विविधताएं रखने से it has to be a case of minimum distortions and minimum deviations. जी.एस.टी. का सिद्धान्त क्या है कि एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर । इससे पूरे देश में बढ़िया सहज और सरल रूप से जो कर व्यवस्था है वह बन पाए इसलिए यह जरूरी है कि इसमें अलग–अलग राज्यों के

हित की कहीं न कहीं छोटी–मोटी एडजस्टमैंट जरूर होंगी । एकॉमोडेशन जरूर होंगी । तब जाकर देश भर में और हरियाणा प्रदेश में भी इस जी.एस.टी. का सफल क्रियान्वयन हो पाएगा लेकिन माननीय सदस्य ने जितने भी बिन्दु उठाए हैं और उसमें उनके जो प्वायंट है वह बड़े जरूरी हैं मैं उनको सिर माथे लेकर जहां हमने हरियाणा की जिम्मेवारी निभानी है वहां हम अपनी जिम्मेवारी जरूर निभाने का काम करेंगे । इसी के साथ माननीय सदस्य ने एक विषय पर और चिन्ता व्यक्त की थी कि इस जी.एस.टी. से एक्साईज एण्ड टैक्सेशन विभाग का क्या होगा? मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस जी.एस.टी. से एक्साईज एण्ड टैक्सेशन विभाग का काम बढ़ेगा क्योंकि अब पूरा काम ऑनलाईन हो रहा है । अब एक आदमी पूरे देश में कहीं पर भी कम्प्यूटर पर एक प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर में, एक फॉर्म से रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन पूरे देश भर के लिए माना जाएगा । इससे हरियाणा में बैठा हुआ हमारा कोई व्यापारी व उद्योगपति अपने माल को यदि दूसरे राज्यों में ले जाकर बेचना चाहता है तो वह एक जगह बैठा हुआ अपना रजिस्ट्रेशन कराकर उसकी कर व्यवस्था में जो जिम्मेवारियां हैं उनको वह एक प्रोग्राम के माध्यम से अच्छी तरह से निभा पाएगा । हमारे राज्य का जो एक्साईज एण्ड टैक्सेशन विभाग है उसके अनुसार जो यह क्रोस इम्पावरमैंट का मॉडल है उसमें यह कहा गया है कि 20 लाख रूपये तक का जो व्यापारी है वह तो इससे बाहर हो जाएगा । इसमें अगर हरियाणा के व्यापारी का आंकड़ा देखा जाए तो उसमें हमारे आज के जो रजिस्टर्ड डीलर हैं उसमें लगभग 40 से 50 प्रतिशत डीलर्स की इससे बाहर हो जाने की संभावना बनती है । फिर भी वह इतना नहीं होगा क्योंकि जो रजिस्टर्ड डीलर है उसको इन्पुट टैक्स क्रेडिट लेना पड़ेगा । इसलिए वह इतनी बड़ी संख्या में बाहर न होकर के अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएंगे । हरियाणा के हमारे एक्साईज एण्ड टैक्सेशन विभाग के जो अधिकारी हैं, जैसे मैंने कहा इससे एक्साईज एण्ड टैक्सेशन विभाग का काम बढ़ने वाला है उसमें आज हरियाणा में क्रोस इम्पावरमैंट के मॉडल पर डेढ़ करोड़ रूपये से नीचे के जो भी सर्विस टैक्स के डीलर्ज आएंगे । उसको 90 प्रतिशत तो हरियाणा का अधिकारी ही देखेगा । हरियाणा प्रदेश का जो एक्साईज एण्ड टैक्सेशन विभाग है इसको भी नये जी.एस.टी.के विषय को ध्यान में रखते हुए हम जल्द ही सरकार के स्तर पर पूरी तरह से री मॉडलिंग और री– स्ट्रक्चरिंग करने का प्रस्ताव मंजूर करने वाले हैं । चेयरपर्सन महोदय, यह एक ऐसा मॉडल है

जिसमें केन्द्र के अधिकारी और हरियाणा के एक्साईज एवं टैक्सेशन डिपार्टमैंट के अधिकारियों को समकक्ष होकर आपस में बहुत ज्यादा कोआर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। सरकार का यह प्रयास है कि इस नए मॉडल के तहत जब भारत सरकार के अधिकारी, हरियाणा में काम करेंगे तो उनके साथ काम करने वाले हरियाणा प्रदेश के अधिकारी उनके समतुल्य बने रहें ताकि हरियाणा प्रदेश के अधिकारी किसी भी सूरत में अपने आपको भारत सरकार के अधिकारियों से कमतर न आंके। इसके अतिरिक्त पावर्ज, रिस्पांसिबिलिटीज व अन्य दूसरी प्रकार की अकाउंटेबिलिटीज को भी समान रूप से बनाये रखने का प्रावधान करते हुए पूरे स्ट्रक्चर को तथा सभी प्रकार की पावर्ज को एक नए फोरमेट में लाने का प्रस्ताव सरकार के द्वारा किया गया है और निःसंदेह इस प्रस्ताव को बहुत जल्दी अमलीजामा पहना भी दिया जायेगा जिसकी वजह से महकमे का काम घटने वाला नहीं बल्कि इससे महकमे का काम बढ़ने वाला है।

श्री करण सिंह दलालः चेयरपर्सन महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा था कि यद्यपि जी.एस.टी. प्रणाली लागू हो जायेगी परन्तु बावजूद इसके मार्किट कमेटियां, मार्किट फीस चार्ज करती रहेगी, उस संदर्भ में मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ और साथ ही एक सुझाव भी देना चाहता हूँ और वह यह है कि मार्किट फीस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आ चुकी है जिसमें कहा गया है कि मार्किट फीस इज नॉट ए फीस, इट इज टैक्स। देश के विभिन्न क्षेत्रों की मंडियों में अलग–अलग मार्किट फीस चार्ज की जाती है जैसे हरियाणा की मंडियों में मार्किट फीस चार प्रतिशत है जबकि दिल्ली की मंडी में यही मार्किट फीस एक प्रतिशत है और इसी प्रकार देश की किन्हीं अन्य मंडियों में यह मार्किट फीस दो प्रतिशत भी हो सकती है। इस संदर्भ में मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि देश की सभी मंडियों में समान मार्किट फीस का प्रावधान करने संबंधी कोई प्रयास सरकार के स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि जो किसान अपनी फसल का ज्यादा भाव प्राप्त करने के लिए यदि किसी प्रदेश की मंडी में जाता है तो उसे भाव तो ज्यादा मिल जाता है लेकिन उस प्रदेश की मंडी की मार्किट फीस ज्यादा हो जाने की वजह से किसान का मिलने वाला ज्यादा भाव महज औपचारिकता बनकर रह जाता है।

कैप्टन अभिमन्युः चेयरपर्सन महोदय, दलाल साहब द्वारा उठाया जा रहा विषय जी. एस.टी. से संबंधित नहीं है। यह ठीक है कि जी.एस.टी. की व्याप्ति बहुत ज्यादा है

और इसी चीज का फायदा उठाकर दलाल साहब ने बहुत सारी दूसरी चर्चाएं भी जी.एस.टी. के बहाने सदन में कर डाली है और यह बात सब लोग भलीभंति जानते हैं कि दलाल साहब के पास विषय चर्चा संबंधी बहुत सारे विषय हर समय मौजूद रहते हैं लेकिन मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि चूंकि बात जी.एस.टी. बिल पर केन्द्रित है इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जी.एस.टी. से संबंधित विषय पर ही निश्चित तौर पर जवाब दूं। माननीय सदस्य ने एक चिंता व्यक्त की थी कि अगर किसी डीलर से कोई गलती हो जाये तो जी.एस.टी. प्रणाली में मिसटेक करेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है, इस संदर्भ में मैं माननीय सदस्य की जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा कि यदि किसी से भी कोई error of omission and commission हो जाता है तो जी.एस.टी. प्रणाली में उसको अपनी मिस्टेक करेक्शन करने का बाकायदा तौर पर अवसर/प्रावधान मौजूद है और इस जी.एस.टी. एक्ट के अधीन रुल्ज में इस तरह की चिंताओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, आवश्यक दिशा–निर्देशों का समावेश किया गया है। एक दूसरी चिंता माननीय सदस्य ने यह व्यक्त की थी कि जी.एस.टी. प्रणाली लागू हो जाने पर टैक्स रिफंड में दिक्कत आयेगी और डिले की अवस्था में रिफंड पर ब्याज भी नहीं मिलेगा, इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि जी.एस.टी. एक्ट में इस तरह की स्थिति के लिए बाकायदा तौर पर प्रावधान किये गए हैं। उदाहरण के लिए निर्यातकों को टैक्स रिफंड मैंडेटोरली सात दिन के अन्दर–अदर अदा करने को अनिवार्य बनाया गया है इसी प्रकार व्यापारियों व उद्योगपतियों के टैक्स रिफंड को मैंडेटोरली 60 दिन के अन्दर–अन्दर अदा करने तथा देरी की अवस्था में डिले रिफंड पर 6 प्रतिशत ब्याज देने को अनिवार्य बनाया गया है। चेयरपर्सन महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि रेरा अर्थात रियल एस्टेट्स रेगुलेटरी एजेंसी के अस्तित्व में आ जाने के बाद जी.एस.टी. प्रणाली की धज्जियां उड़ जायेंगी। मुझे समझ नहीं आया कि किस प्रकार से रेरा के अस्तित्व में आने के बाद जी.एस.टी. की धज्जियां उड़ जायेंगी? मैं इस बात को समझ नहीं पाया लेकिन मैं माननीय सदस्य को इतना जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि जी.एस.टी. प्रणाली लागू हो जाने के बाद हमारा रियल एस्टेट्स जो कि एक इंपोर्टेंट ट्रेड/इंडस्ट्री है, उसे और अधिक बेहतर ढंग से रेगुलेट किया जा सकेगा। जी.एस.टी प्रणाली के लागू हो जाने के बाद रियल एस्टेट्स से संबंधित डिवैल्पर्ज को उनकी पूरी अर्थ के व्यवहार, दूसरे शब्दों में कहूँ तो उनको अपनी अर्थ की सभी ट्रांजैक्शंज का ऑन लाईन रिकॉर्ड रखना मजबूरी

हो जायेगा। जी.एस.टी. एक ऐसी प्रणाली या व्यवस्था का नाम है जिसमें ट्रेल पीछे से बनता चला आता है। उदाहरण के लिए जैसे पूरे देश में कहीं पर भी तथा किसी भी स्थान पर यदि कोई व्यक्ति किसी से कोई जमीन खरीदता है तो उस जमीन से संबंधित सारा रिकॉर्ड ऑन लाईन कंप्यूटर पर देखा जा सकेगा और यदि उस रिकॉर्ड से संबंधी कहीं भी या किसी भी स्टेज पर कोई रिकॉर्ड या आईटम्ज मिस होते हैं तो आटोमैटिकली कंप्यूटर पर मिसिंग आईटम्ज से संबंधित सूचना जनरेट हो जायेगी कि फलां आईटम का आगे इस्तेमाल होना था, यह कहां गया, किसके पास गया, उसे किसने खरीदा तथा उसका कहां इस्तेमाल हुआ और जहां पर वह आईटम इस्तेमाल हुआ, वहां पर उस आईटम पर एडीशनल टैक्स लगाया गया या नहीं, इस तरह का एक ट्रेल जी.एस.टी. प्रणाली से बनता है। इस ट्रेल के बनने से रियल एस्टेट्स, एस्टेट्स डिवैल्पर्ज तथा रियल एस्टेट्स इंडस्ट्री को और ज्यादा बेहतर ढंग से रेगुलेट कर पाने में सहायता मिलेगी।

श्री करण सिंह दलालः चेयरपर्सन महोदय, अभी मंत्री जी ने जिक्र किया था कि उनको मेरी वह बात समझ नहीं आई कि किस प्रकार रियल एस्टेट्स रेगुलेटरी एजेंसी अर्थात रेरा के अस्तित्व में आ जाने के बाद जी.एस.टी. प्रणाली पर इंपेक्ट आयेगा। चेयरपर्सन महोदय, रियल एस्टेट्स का महकमा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है अतः विषय की महत्ता और भी बढ़ जाती है इसलिए विषय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यद्यपि स्टेट जी.एस.टी. एक्ट में कुछ रूल्ज फ्लोट किए गए हैं लेकिन यह बात ध्यान रखनी भी जरूरी है कि जी.एस.टी. के संबंध में सैंट्रल एक्ट पहले ही बन चुका है और उसमें निहित नियमों व कानूनों को किसी भी स्तर पर प्रदेश जनित एक्ट के द्वारा ओवरराईड नहीं किया जा सकता। जहां तक बात चली थी कि रेरा के अस्तित्व में आ जाने के बाद जी.एस.टी. प्रणाली किस प्रकार से प्रभावित होगी, उसका कारण यह है कि एक तरफ तो जी.एस.टी एक्ट के नए नियमों के आधार पर लंबित प्रोजैक्ट्स को पार्ट कंप्लीशन दिया जायेगा जबकि दूसरी तरफ पार्ट कंप्लीशन प्राप्त प्रोजैक्ट्स रेरा के नियमों व कानूनो की अपेक्षा पर खरा न उतरकर, रेरा की परिधि में नहीं आ पायेंगे। यदि ऐसा होगा तो संभव है कि रेरा के अधीन तैयार किए जाने वाले अकाउंट्स कभी सैटल ही नहीं हो पायेंगे। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, जब अकाउंट्स सैटल नहीं होंगे तो जी.एस.टी. से आमदनी नहीं होगी । इस तरह से उपभोक्ताओं को दोनों तरह से नुकसान

होगा, इसलिए आप जी.एस.टी. बिल के तहत नई व्यवस्था में यह मानकर चलिये कि इससे टैक्स की रिटर्न में समस्याएं आएंगी । (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत विनम्र शब्दों में माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल की चिंताओं और आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है । मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात से इस महान सदन के सभी सदस्य संतुष्ट हो गए होंगे । अगर माननीय सदस्य श्री परमिन्द्र सिंह ढुल की कोई शंका शेष हो तो मुझे बता दें मैं उनकी सभी शंकाएं दूर कर दूंगा । (विघ्न)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को बताना चाहता हूं कि इस जी.एस.टी. बिल में अगर किसी की टैक्स या कंपनी से संबंधित सूचना लीक होती है तो इसमें बहुत कम जुर्माने का प्रावधान किया गया है । (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन के सामने आज जी.एस.टी. का जो बिल आया है यह बिल केन्द्र सरकार के साथ–साथ सभी राज्यों और सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के रिप्रजैंटेटिव्स ने मिलकर एक कानून बनाया है । सभी ने इसे बेहतरीन कानून बनाने का प्रयास किया है । इस बिल के विषय पर सभी सदस्यों ने बहुत–सी चीजों पर काफी विस्तार से चर्चा की है । मैंने कई बार इस बिल से संबंधित माननीय सदस्यों के समाचार–पत्रों में दिये गए बयान पढ़े हैं । कई माननीय सदस्यों ने व्यापारियों को साथ लेकर कहा है कि इस बिल में व्यापारियों को कठोर दण्ड देने इत्यादि के कई प्रावधान किये गए हैं । मैं इस महान सदन को आश्वस्त करता हूं कि जी.एस.टी. के तहत जो नई टैक्स व्यवस्था बनी है वह सभी दलों के सदस्यों ने सोच–समझकर बनाई है । सभी दलों के माननीय सदस्यों ने इस नई टैक्स व्यवस्था के सफल कार्यान्वयन के लिए काम किया है । इसके अतिरिक्त मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे व्यापारियों की टैक्स संबंधी कोई सूचना लीक नहीं होगी । इसके लिए हमने बहुत–से चैक्स एंड बैलेंसिज बनाए हुए हैं । हमने इन चीजों का बहुत ध्यान रखा है और मुझे नहीं लगता कि माननीय सदस्य की चिंता बहुत गम्भीर स्तर की है । आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।)

(ii) दि हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसिज, करनाल (अमेंडमैंट) बिल, 2017

श्री अध्यक्ष : अब कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल (संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल (संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ ।)

(iii) चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जीन्द (अमेंडमैंट एंड वैलिडेशन) बिल, 2017

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शिक्षा मंत्री चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे और इस पर तुरंत विचार करने के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ –

कि चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल (जुलाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि यह विश्वविद्यालय बी.एड. कॉलेजिज के लिए ही बनाया गया थ। अगर इस विश्वविद्यालय से बी.एड. कॉलेजिज निकाल दिये जायेंगे तो यह विश्वविद्यालय राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनकर ही रह जायेगा। अध्यक्ष महोदय, किस उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय से बी.एड. कॉलेजिज छीन करके इसकी संरचना को ही खत्म किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से इस विश्वविद्यालय का बनाने का उद्देश्य ही फेल हो गया है इसलिए इस संशोधन विधेयक को वापिस लिया जाये।

डॉ. हरि चंद मिड्ढा (जीन्द): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यही सब्जैक्ट है। इस विश्वविद्यालय के साथ धोखा हो रहा है। जीन्द हल्के में न तो कोई फैक्ट्री है और न ही कोई एजेंसी है। यदि इस विश्वविद्यालय से बी.एड. कॉलेजिज निकाल दिये जायेंगे तो फिर विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि जीन्द हल्के में कुछ भी नहीं रहेगा।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013–14 में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के पिता जी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जीन्द में विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा हुई थी। अध्यक्ष महोदय, ढुल साहब ने ठीक कहा है कि इस विश्वविद्यालय से हरियाणा के 763 बी.एड. कॉलेजिज को जोड़ा जाना था, क्योंकि इस विश्वविद्यालय को बनाते समय यह प्रावधान किया गया था। अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में यह मांग उठी थी कि चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द में इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि चौधरी रणबीर सिंह, विश्वविद्यालय, जीन्द में इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी की तो कोई बात ही नहीं थी। Regional Centre was converted into the University and the decision has been taken कि सारे के सारे बी.एड. कॉलेजिज को इससे एफीलिएट कर दिया जाये लेकिन पिछले दिनों

एडमिशन के दौरान यह दिक्कत आई की जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनसे जो ऑलरेडी बी.एड. कॉलेजिज एफीलिएट थे उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी। अध्यक्ष महोदय, सब जगह से डिमाण्ड आई थी कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं से ही बी.एड. कॉलेजिज को एफीलिएट कर दिया जाये । अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय में इन्फ्रास्ट्रक्चर तो पहले भी पर्याप्त था और सरकार से हम यह उम्मीद करेंगे कि सरकार इस विश्वविद्यालय के इन्फ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ायेगी।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज की टैरीटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन होती है। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जीन्द की जो ज्यूरिस्डिक्शन है और जो प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज़ हैं उन सारी बातों पर चर्चा करते हुए सरकार विशेष सत्र में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जीन्द (अमेंडमेंट एंड वैलीडेशन) विधेयक लेकर आई है। सरकार की मंशा इस विश्वविद्यालय का रूतबा कम करने की नहीं है बल्कि इस विश्वविद्यालय के साथ जिले के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेजिज को संबद्ध करके इस विश्वविद्यालय के रुतबे को बढ़ाने की है इसलिए हम यह संशोधन लेकर आए हैं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

> कि चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉजिज 2 से 6

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 6 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ।)

.....

(iv) गुरूग्राम यूनिवर्सिटी बिल, 2017

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब शिक्षा मंत्री गुरूग्राम विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर तुरन्त विचार करने के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं गुरूग्राम विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि गुरूग्राम विश्वविद्यालय विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

कि गुरूग्राम विश्वविद्यालय विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे आज सदन में गुरूग्राम यूनिवर्सिटी का बिल लेकर आये हैं यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गुरूग्राम शहर बहुत ज्यादा आबादी का शहर बन चुका है। हरियाणा ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग वहां पर बस चुके हैं और वे हरियाणा का हिस्सा बन चुके है। मेरा सुझाव है कि इस यूनिवर्सिटी को या तो सोहना की तरफ बनाया जाए जिससे मेवात के बच्चों को भी शिक्षा मिल सके और इसमें हमारा पलवल जिला भी साथ लगता है या फिर फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में स्थापित किया जाए। लेकिन आज के हालत को देखते हुए इस यूनिवर्सिटी में दुनिया की जितनी भी अच्छे डिवैल्पड कण्ट्रीज की लैंग्वेजिज हैं उनको इस यूनिवर्सिटी का पार्ट बनाकर वहां पर विदेशी लैंग्वेजिज पढ़ाने की और उनको शिक्षा दिलाने के कोर्सिज की व्यवस्था करवाई जावे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इससे न केवल बेरोजगारी समाप्त होगी बल्कि इससे दुनिया भर के नौजवान बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकेंगे।

गुरूग्राम विश्वविद्यालय के नाम से सम्बन्धित मामला उठाना

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी गुरूग्राम यूनिवर्सिटी का बिल लेकर आए हैं, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं क्योंकि यह प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। हरियाणा की जनता को इस यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। वैसे तो आज हरियाणा हायर एजुकेशन में नेशनल एवरेज के हिसाब से ग्रोस् इन्रोल्मेन्ट रेश्यो में काफी आगे है। इस यूनिवर्सिटी के बनने से मैं समझती हूं कि प्रदेश में शिक्षा की स्थिति और बेहतर होगी। यह जो बिल लाया गया है इसमें गुरूग्राम यूनिवर्सिटी बिल लिखा गया है। इसके बारे में मेरा सबमिशन यह है कि गुरूग्राम यूनिवर्सिटी में एक हरियाणा शब्द और ऐड कर दिया जाए तो नोमेन्क्लेचर् के नाम पर फिर से सदन में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे देश में और दुनिया में डा0 भीम राव अम्बेडकर की 125 वीं पुण्य तिथि मनायी जा चुकी है और 126 वीं पुण्य तिथि मनायी जा रही है तथा भीम एप्प लाने की भी बात की जा रही है। हमारे प्रदेश का गुरूग्राम मल्टी नेशनल सिटी है तो इस यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। मैं चाहूंगी कि मंत्री जी इस बात पर विचार करें क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में न केवल

हरियाणा के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे अपितु दिल्ली से भी बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। हमारे गुरूग्राम के स्कूलों में ज्यादातर दिल्ली तक के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, इसलिए गुरूग्राम यूनिवर्सिटी में इन बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने के कारण इस यूनिवर्सिटी का कद और बढ़ेगा। हरियाणा सरकार को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत फ़न्ड् की डिमान्ड को पूरा करने के लिए भारत सरकार से समय–समय पर मांग करते रहना चाहिए। जिस तरह एस.एस.ए. और आर.एम.एस.ए. की योजनाएं चल रही है उसी प्रकार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को ध्यान में रखते हुए मैक्सीमम फंड यूनिवर्सिटी के लिए लेकर आएं ताकि जो जॉब ओरिएंटिड कोर्सिज या हमारे जो कम्यूनिटी कालेजिज हैं उनको हम लोग अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाएं। वैसे तो गुरुग्राम क्षेत्र में पहले से ही एक सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी, डिफेन्स यूनिवर्सिटी और इन्दिरा गांधी यूनिवर्सिटी है। यह अच्छी बात है कि यह यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है। चंडीगढ़ जो हमारी राजधानी है, वहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी है और वह यूनिवर्सिटी इस समय फाइनैंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। मैं विधानसभा के पटल पर यह बात रखती हूं और आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हमें अपना हक पंजाब यूनिवर्सिटी से छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम चाहें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी सीट्स के लिए पंजाब सरकार से बात करें और जहां तक हो सके, हम पंजाब यूनिवर्सिटी को फाइनैंशियली सहायता करें, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और यह यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। इससे हमारे बच्चों को एडमिशन में कुछ–न–कुछ फायदा होगा। मैं आपको पुनः बधाई देती हूं। यह बात अच्छी है कि यहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी है, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की समस्या का हल समयबद्ध तरीके से किया जाएगा तो हमारे प्रदेश के बच्चों को कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा।

16:00 बजे

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय गीता भुक्कल जी और माननीय साथी करण सिंह दलाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। गीता जी, स्वयं भी हरियाणा की शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने ठीक कहा है कि हायर एजुकेशन में हरियाणा पूरे देश में अच्छे स्थान पर खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन गीता जी को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पहले से ही विचाराधीन है और सोनीपत में जो राजीव गांधी

यूनिवर्सिटी है, जोकि एक एजुकेशन हब है, उसमें जो लॉ यूनिवर्सिटी है वह बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के नाम पर बनेगी।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो पहले ही बन चुकी है। वह विचाराधीन नहीं है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बहन गीता भुक्कल जी को बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी या हम में से किसी ने भी अपने पिता या दादा के नाम से कोई कार्यक्रम नहीं रखा।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वॉइंट ऑफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान) अभी जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इनकी पार्टी ने अपने पिता या दादा के नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं रखा, क्योंकि देश की आजादी में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वह कांग्रेस के ही लोग थे, इसलिए कांग्रेस के ही लोगों का नाम आता है। भारत की आजादी में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं था।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि शर्मा जी प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं और यूनिवर्सिटी का नाम बड़े ही मान–सम्मान के साथ और सोच–समझकर रखे जाते हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री के मुंह से उनके नाम का मजाक उड़ाना, इसकी मैं निंदा करती हूं। इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। हमने कोई भी नाम रखा होगा, वह स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से ही रखा है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। इन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, हमने महर्षि बाल्मीकि के नाम से भी यूनिवर्सिटी का नाम रखा है। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश के लिए बलिदान दिया है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन गीता जी को बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी ने बोफोर्स घोटाला किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और राजीव गांधी जी ने अपनी जान को देश के लिए न्यौछावर किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, मंत्री जी उनके नाम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ये तो जानकारी लेना चाह रहे थे।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पूर्व प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, श्री राजीव गांधी जी देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री है, जिनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी और उनके पुत्र स्वर्गीय राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्होंने भी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं है और ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि हमें जानकारी है, हमें धमकाने की जरूरत नहीं है। राजीव गांधी जी वही शख्स है, जिन्होंने 1984 में सरे आम सिक्खों का कत्लेआम करवाया था और ये कहते थे कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। गीता जी, ऐसे लोगों को बड़ा बताने की कोशिश कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि हमें धमकाने की जरूरत नहीं है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भारत रत्न का अपमान कर रहे हैं। उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस तरह से ये भारत रत्न का अपमान कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (सरदार बख्शीश सिंह विर्क) : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में राजीव गांधी जी के बारे में बात हुई हैं । मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी ने कौन सी कुर्बानी दी थी । कुर्बानियां तो गुरू देग बहादुर जी और गुरू गोविन्द सिंह जी ने दी थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते हैं कि जिन महान लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी या अच्छे काम किए उनके नाम से संस्थान बनने चाहिएं लेकिन अभी इनके नाम से बनाये गये संस्थानों को लेकर सत्तापक्ष और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कटाक्ष किए जा रहे थे । जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश की आजादी में बड़ा योगदान दिया उनके नाम पर संस्थान बनने चाहिएं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है । अभी कांग्रेस के साथियों द्वारा कहा गया कि राजीव गांधी जी भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे । अध्यक्ष

महोदय, भारत रत्न का सम्मान कब–कब किस–किस को मिला अगर हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो पता चलता है कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने अपने आपको भारत रत्न से सम्मानित करवाया था। इसी तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी जिस समय देश की प्रधानमंत्री थी उस समय उन्होंने भी अपने आपको भारत रत्न से सम्मानित करवाया था। इसी तरह से जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने अपने आपको भारत रत्न से सम्मानित करवाया था । इस तरह से जिन लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए था उन लोगों की अनदेखी कांग्रेस की सरकारों के समय में की गई । जिस समय केन्द्र में जनता दल की सरकार थी और स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी देश के उप प्रधानमंत्री थे उस समय डा. भीम राव अम्बेडर को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था । जबकि दूसरी पार्टियों ने उनके नाम से वोट लिये लेकिन उनका सम्मान नहीं किया । वे भारत रत्न के हकदार थे जिन्होंने देश का संविधान बनाया और देश के लोगों को एक अधिकार दिया । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अभी कहा जा रहा था कि यूनिवर्सिटी का नाम फलां आदमी के नाम पर क्यों रखा गया। जिस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने करनाल में भव्य पार्क बनवाया था । उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था इसलिए तोहफे के रूप में उस पार्क का नाम उनके नाम से रख दिया गया । मैं यही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने देश के लिए कुछ खास किया है उनके नाम पर स्थान बनाये जायें । उनके नाम से रखे गये स्थान पर किसी तरह का कटाक्ष नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से सदन का समय बर्बाद होता है ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम गुरूग्राम में विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं । गुरूग्राम गुरू द्रोणाचार्य की नगरी है जो कि बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है। हम महापुरूषों के नाम पर दूसरी जगहों पर भी विश्वविद्यालय बना रहे हैं । मैं गीता भुक्कल जी को बताना चाहूंगा कि हम मुंजेड़ी, जिला कैथल में महर्षि बाल्मीकि जी के नाम से विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं । मैं भाई करण सिंह दलाल जी को भी बताना चाहूंगा कि हम दुधोला में भी विश्वकर्मा जी के नाम से विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं । इसी तरह से वाई.एम.सी.ए. इंजीनियरिंग कालेज फरीदाबाद को भी विश्वविद्यालय बनाया गया है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, वाई.एम.सी.ए. इंजीनियरिंग कालेज को तो हमारे समय में ही विश्वविद्यालय बना दिया गया था ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने केवल विश्वविद्यालय का नाम दिया था लेकिन उसके साथ कोई भी कालेज ऐफीलियेट नहीं किया था । केवल कैंपस के 1700. छात्र ही उससे ऐफीलियेटिड थे उससे बाहर का एक भी डिग्री कालेज या इंजीनियरिंग कालेज उससे ऐफीलियेटिड नहीं था । अब हमने उस विश्वविद्यालय के साथ फरीदाबाद जिले के सारे कालेज जोड़ दिए हैं और हजारों बच्चों को उसके साथ एफीलियेटिड करके उसे पूर्ण यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगी कि किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ कालेजिज को सम्बद्ध करने के लिए उस यूनिवर्सिटी का कम से कम पांच साल का कार्यकाल कम्पलीट होना अनिवार्य है। इस प्रकार से जब किसी यूनिवर्सिटी के पांच साल कम्पलीट हो जाते हैं तो उसके साथ कॉलेजिज सम्बद्ध किये जा सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने यह यूनिवर्सिटी बना दी थी अब मौजूदा सरकार इस यूनिवर्सिटी के साथ जितने चाहे उतने कालेजिज सम्बद्ध कर ले। अध्यक्ष जी, इसी के साथ ही साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह रिकवैस्ट भी करना चाहूंगी कि एक यूनिवर्सिटी हमारे झज्जर जिला में भी खोल दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है गीता जी, अभी आप बैठ जायें और संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी बात कहने दें।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी को स्पष्ट तौर से यह बताना चाहूंगा कि आगरा का ताज महल भी कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था और इतना ही नहीं मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि हिमालय पर्वत को भी कांग्रेस पार्टी ने ही बनवाया था। इसलिए माननीय सदस्या को शांतिपूर्वक मेरी बात को सुनना चाहिए। जहां तक ये स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं । मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पण्डित जवाहर लाल नेहरू की सरकार में 1952 में उद्योग मंत्री थे and he was next to Pandit Jawahar Lal Nehru. उस समय जम्मू–कश्मीर जाने के लिए भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए परमिट सिस्टम का प्रावधान था। इतना ही नहीं जम्मू–कश्मीर की सीमा के अंदर भारत का तिरंगा झण्ड़ा भी नहीं फहराया जाता था। भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डेढ़

घंटे की स्पीच 11 मई, 1953 को दी जिसमें उन्होंने यह कहा था कि मैं अपने देश के हिस्से जम्मू–कश्मीर में बिना परमिट के जा रहा हूं और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसके साथ ही साथ मैं भारत के उद्योग मंत्री के पद से भी इस्तीफा देता हूं। उन्होंने यह भी कहा था कि एक देश में दो विधान नहीं हो सकते और न ही एक देश में दो निशान होने चाहिएं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए यह बार–बार कहा था कि यह व्यवस्था चलेगी, नहीं चलेगी। उस समय उन्होंने उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इस घटना के बाद 11 मई, 1953 को पठानकोट से आगे और साम्भा से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद 23 जून, 1953 को उनकी लाश कश्मीर की जेल से वापिस आई थी। स्पीकर सर, हमारी विचारधारा की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। इसी प्रकार से पण्डित दीन दीन दयाल उपाध्याय जिन्होंने एकात्मवाद और मानवतावाद का संदेश दिया उनकी लाश भी मुजफ्फरपुर में ट्रेन में 11 फरवरी, 1968 को तीन टुकड़ों में मिली थी। उनकी यह सोच थी और उन्होंने यह कहा थ कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है जब तक उसके पास विकास की गंगा नहीं पहुंचती तो देश की आजादी बेकार है। स्पीकर सर, कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर किसी एक पार्टी, किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री थे उन्होंने प्रयास करके देश की 562 रियासतों को भारत में मिलवाया था। कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर 60 साल तक एकछत्र राज किया लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी को कभी भी भारत माता के इस महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल की कभी भी याद नहीं आई लेकिन हमारी पार्टी की केन्द्र सरकार पूरे देश के किसानों के हल के लोहे से मूर्ति बनवाकर अहमदाबाद में स्थापित करेगी जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इसी प्रकार से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था जिसमें अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। ऐसे ही सुभाष चन्द्र बोस जी के सम्बन्ध में भी मैं यह बताना चाहूंगा कि वो ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने आजादी से पहले हिन्दुतान की चारदीवारी से बाहर जाकर के आजाद हिन्द फौज की स्थापना की थी। हरियाणा की आजादी में उनका योगदान अभूतपूर्व है। उन्होंने भारत के प्रत्येक नागरिक को आजादी के लिए यह नारा देकर प्रेरित किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।

उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। इतिहास को न तो मैं दबा सकता हूं और न ही कोई और ही दबा सकता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि उस समय सीतारमैया पट्टारवी की हार पर महात्मा जी ने यह कहा था कि यह हार सीतारमैया पट्टारवी की हार न होकर यह मेरी हार है। उसी समय within two minutes Shri Subhash Chander Boss resigned from the President-ship of the Congress Party लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद उनको पूरी तरह से भुला दिया।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि गुरूग्राम विश्वविद्यालय विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

सब–क्लॉज–2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि सब–क्लॉज–2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉजिज 2 से 35

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 35 विधेयक का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि शिड्यूल विधेयक का शिड्यूल बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब–क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि सब–क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ ।)

गुजरात में स्थापित की जाने वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रस्तावित प्रतिमा का मामला उठाना

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरदार पटेल की लोहे की प्रतिमा बनाने के लिए हरियाणा तथा देश के अन्य राज्यों के किसानों ने उनके हल तथा अन्य कृषि उपकरणों से संबंधित लोहा दान किया था । अब लोगों में इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति है और लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि वह लोहा चीन भेज दिया गया है और चीन की किसी कम्पनी को वह प्रतिमा बनाने का कांट्रैक्ट दिया गया है । इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये कि सरदार पटेल जी की मूर्ति में चीन का लोहा लग रहा है या देश के किसानों द्वारा दान किया गया लोहा लग रहा है?

.....

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(v) दि इण्डियन स्टाम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2017

श्री अध्यक्षः अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे और इस पर विचार करने के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ ।)

.....

(vi) दि वाई.एम.सी.ए. यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एण्ड टैक्नॉलोजी, फरीदाबाद (अमैडमैंट) बिल, 2017

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब तकनीकी शिक्षा मंत्री वाई.एम.सी.ए. विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, (संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे और इस पर तुरंत विचार करने के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं वाई.एम.सी.ए. विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि वाई.एम.सी.ए. विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि वाई.एम.सी.ए. विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि वाई.एम.सी.ए. विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज 2 से 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 4 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, यह यूनिवर्सिटी वर्ष 2009 में एक टैक्नीकल कॉलेज के नाते प्रारम्भ की गई थी परंतु अभी वर्ष 2017 में जो एन.ए.ए.सी. मार्किंग के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है उसने वाई.एम.सी.ए. को 'ए' ग्रेड दिया है। मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

.....

(vii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एण्ड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एण्ड अलाउंसिज (अमेंडमेंट) बिल, 2017

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे और इस पर तुरंत विचार करने के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे ।

शिक्षा मंत्री (राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन भत्ता (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन भत्ता (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री जयप्रकाश(बरवाला): अध्यक्ष महोदय, यह तो अच्छी बात है कि जब भारत सरकार ने सातवां वेतन आयोग लागू किया तो हरियाणा प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को सातवां वेतन आयोग भारत सरकार के साथ ही दे दिया ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला किलाई) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभी अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग का पूरा लाभ नहीं दिया है ।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे पता लगा है कि अभी सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग का पूरा लाभ नहीं दिया है । अगर ऐसा है तो फिर वित मंत्री जी की गलत बयान बाजी है क्योंकि मैंने तो जो अखबार में पढ़ा है मैं वही कह रहा हूं । मुझे तो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है ।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, हमने तो अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ सबसे पहले दिया है । जयप्रकाश जी तो ठीक लाईन पर आते हैं लेकिन उनको फिर कोई गुमराह कर देते हैं ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जी इस महान सदन के एक सीनियर सदस्य हैं और वह मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट भी रह चुके है। पिछले सैशन में वर्तमान विधायकों के वेतन–भत्तों व पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ौत्तरी के संबंध में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें श्री जय प्रकाश जी भी सदस्य थे, के संदर्भ में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि सरकार जल्द ही इस संबंध में

सदन में बिल लाने जा रही है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य की शंका का निवारण हो गया होगा इसलिए इन्हें अब अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए और बेवजह सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरा मकसद सदन की कार्यवाही को बाधित करना नहीं था बल्कि मैं तो केवल वर्तमान विधायकों के वेतन–भत्तों व पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ौत्तरी के संबंध में अपनी बात कहना चाहता था? (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, जय प्रकाश जी सदन के एक सीनियर सदस्य हैं। इनको भलीभांति रूप से मालूम होना चाहिए कि जब कभी भी सदन में स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर के संबंध में कोई विधेयक आता है तो इन पदों की मर्यादा के अनुरूप सदन के किसी भी सदस्य को इस तरह के विधेयक पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? It is not graceful. इस तरह के विधेयक पर सदन में कभी चर्चा नही की जानी चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा नहीं कर रहा था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, जब बिल प्रस्तावित हो चुका है और उस समय जय प्रकाश जी द्वारा बार–बार उठकर बोलने की अवस्था को चर्चा नहीं कहा जायेगा तो और क्या कहा जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उन्हें मेरी बात को एक बार सुन लेना चाहिए, उसके बाद सारी बात क्लीयर हो जायेगी?(शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरा जय प्रकाश जी से एक बार फिर से अनुरोध है कि उन्हें इस विधेयक पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं बार–बार मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस बिल पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ लेकिन वे मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। अगर मेरी बात को ध्यान से सुना जायेगा तो केवल मंत्री जी ही नहीं बल्कि सदन के दूसरे सदस्य भी कहेंगे कि जय प्रकाश बहुत अच्छी बात कह रहा है? मैं अच्छा बोलना चाहता हूँ लेकिन मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे बोलने का मौका दिया जायेगा तो मैं तारीफ ही करूंगा? (हंसी एवं विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, क्या तारीफ करना चर्चा नहीं होती है? (हंसी एवं विघ्न)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, यह जय प्रकाश दिन में तो हमारे साथ रहता है लेकिन लगता है इसकी रात की संगति खराब है? (हंसी एवं विघ्न) जय प्रकाश जी घूम–फिरकर उस मोहल्ले (विपक्ष) में चले जाते हैं? (हंसी एवं विघ्न)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि जनता ने चुनाव में मेरे पक्ष में ऐसा फैसला किया है जो मुझे दोनों (सत्ता पक्ष व विपक्ष) को साथ लेकर चलने पर मजबूर करता है। मेरे हल्के की जनता का फैसला कहता है कि मैं पूरे सदन को साथ लेकर चलूं। (हंसी एवं विघ्न)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, जय प्रकाश जी कहीं तीसरे शख्स (कटाक्ष) तो नहीं हैं? (हंसी एवं विघ्न)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरा शख्स नहीं हूँ बल्कि मैं तो केवल दो तक ही सीमित हूँ। तीसरे वाली बात मेरे से जबरदस्ती कहलवाई जा रही है। खैर छोड़िये, अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को पूरी तरह से नहीं सुना गया। वास्तव में मैं तो मंत्री जी की तारीफ और धन्यवाद करना चाहता था। मैं यह कहना चाहता था कि स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर के वेतन–भत्तों में जो बढ़ौत्तरी की गई है, वह बहुत कम है। इतनी कम बढ़ौत्तरी से खर्चे पूरे नहीं हो पायेंगे। मैं यह भी कहना चाहता था कि जब भी वर्तमान विधायकों के वेतन–भत्तों को बढ़ाने की बात आती है तो हमारे भूतपूर्व विधायकों की पैंशन वृद्धि व दूसरी फैसिलिटिज का मामला वंचित ही रह जाता है, मेरा पार्लियामेंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर जी से अनुरोध है कि भूतपूर्व विधायकों को भी साथ लेकर चला जाये। पेंशन बढ़ौत्तरी को सरकार की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है लेकिन यह विषय पिछले सैशन में भी पैंडिंग रह गया था। अतः भूतपूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि व दूसरी फैसिलिटीज के संबंध में सदन में जल्द से जल्द विधेयक लाया जाना चाहिए।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, जय प्रकाश जी ने जो भूतपूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि व दूसरी फैसिलिटीज के संबंध में विधेयक लाने की बात कही है, उस संदर्भ में मैं माननीय साथी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भूतपूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि व दूसरी फैसिलिटीज के संबंध में आज विधायक दल की

बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो चुकी है और सरकार शीघ्र ही सदन में इस बाबत अलग से विधेयक लेकर आयेगी।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, वास्तव में सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हुए मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि भूतपूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि व दूसरी फैसिलिटीज 1 जनवरी, 2016 से लागू कर दी जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। (शोर एवं विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, सत्र में जो वेतन–भत्तों में बढ़ौत्तरी से संबंधित विधेयक आये हैं, हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है बल्कि हम उनका समर्थन करते हैं लेकिन इसके साथ ही मेरा एक निवेदन है कि वेतन और सुविधाओं को बढ़ाने की एवज में यदि जय प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से 10 परसेंट कमीशन मांग रहे हैं (कटाक्ष) तो इसे बिल्कुल नहीं देना है। (हंसी व विघ्न)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, करण सिंह दलाल कुछ दिनों तक भारतीय जनता पार्टी में रहे थे अतः उस परिपेक्ष्य में मैं आपके माध्यम से करण सिंह दलाल से एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि ' कुछ तो लिहाज कर लिया करो'। (हंसी व विघ्न) अध्यक्ष जी, आप विधेयक को पास करने की कार्यवाही जारी रखें।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा विधान सभा तथा उपाध्यक्ष वेतन भत्ता (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

सब– क्लॉज 2 ऑफ क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लाज 1 विधेयक का पार्ट बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 3

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, संबंधित विधेयक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन–भत्तों से जुड़ा हुआ है जिस पर आप सदन के सदस्यों की सहमति के लिए पूछ रहे हैं, आप यह बतायें कि आपसे संबंधित इस विधेयक का विरोध किसने किया है इसलिए आपको इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर देना चाहिए। किसी भी सदस्य को कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जय प्रकाशः स्पीकर सर, मेरा भी अनुरोध है कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाये।

श्री अध्यक्षः देखिये, आप ठीक कह रहे हैं लेकिन किसी विधेयक को पास करने के लिए जो विधायी प्रक्रिया होती है, उसे अपनाना तो पड़ता ही है? यदि विधायी

प्रक्रिया और सदन की भावना विधेयक को सर्वसम्मति से पास करने की अनुमति देगी तो निःसंदेह इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास हुआ कह दिया जायेगा।

श्री जय प्रकाशः ठीक है, सर।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष जी, हरियाणा विधान सभा का यह जो सदन है यह बड़ा महान सदन है । अपनी स्थापना के बाद यह सदन लगातार महान परम्पराएं डालता हुआ आ रहा है । इस सदन में 26 अगस्त को मुनिश्री तरूण सागर जी ने अपने विचार प्रस्तुत किये । उनके विचारों का किसी एक पार्टी ने नहीं बल्कि पूरे सदन ने एक स्वर से समर्थन किया और इस महान सदन के सभी साथियों ने एक महान परम्परा की शुरूआत की । इसके साथ–साथ इस महान सदन ने एस.वाई.एल. कैनाल के विषय पर एक महान परम्परा की शुरूआत की है । अध्यक्ष जी, आज सदन में आपसे सम्बन्धित जो मामला आया है उसमें पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूरा इण्डियन नैशनल लोक दल, पूरी भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सभी इंडिपैंडेंट मैम्बर्स आपके साथ हैं, इसलिए इस प्रस्ताव को पारित करने में सर्वसम्मति शब्द का प्रयोग किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।)

हरियाणा विधान सभा के सदस्यगण को अपने वाहनों से लालबत्ती हटाने के संबंध में आ रही समस्या का मामला उठाना

श्री जय तीर्थ : अध्यक्ष जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो वी.आई.पी. कल्चर को खत्म करने का कानून बनाया है इसकी हम सब तारीफ करते हैं लेकिन इस कदम से हम सभी सदस्यों को हाइवेज पर पड़ने वाले टोल प्लाजा पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर कई विधायकों का तो टोल कर्मियों के साथ झगड़ा भी हुआ है। वी.आई.पी. कल्चर खत्म करने के फैसले से हम सब लोग खुश हैं। मैंने तो इस कल्चर से एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हटा दिया है । अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि

आप टोल प्लाजा पर हमारी सहूलियत के लिए कोई समाधान निकालिये ताकि वहां हमारा टाइम वेस्ट न हो । इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि मंत्रियों की गाड़ियों के साथ तो एक ऐस्कॉर्ट और एक पायलट जिप्सी चलती है । इस कारण उन्हें टोल प्लाजा पर ज्यादा दिक्कत नहीं आती लेकिन एम.एल.एज. को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जय तीर्थ जी, हमने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एन. एच.ए.आई. के अधिकारियों को बैठक करने के लिए बुलाया है । अतः आप चिन्तित न हों, इस समस्या का जल्दी ही समाधान निकाल लिया जाएगा ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष जी, मेरा विचार है कि जब देश में वी.आई.पी. कल्चर खत्म ही कर दिया गया है तो फिर हमको भी देश की आम जनता की तरह टोल प्लाजा पर सामान्य श्रेणी की लाइन में लगकर ही अपनी गाड़ी निकालनी चाहिए । हमारे देश की आम जनता भी तो टोल प्लाजा पर लाइन में लगकर ही अपने वाहन निकालती है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, यह काम उचित नहीं होगा क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हो और आपके टाइम की वैल्यू ज्यादा है । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा एक सुझाव है कि हरियाणा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को टोल प्लाजा को खत्म करने के लिए कहा जाना चाहिए और इन पर लिये जाने वाले टोल टैक्स को किसी और रूप में लिया जाना चाहिए । टोल प्लाजा पर प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों को गाड़ियों में लाइन में लगकर अपना टाइम खराब करना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, टोल प्लाजा पर सामान्य श्रेणी की लाइन में लगकर टोल टैक्स देकर आगे बढ़ने से आपका ज्यादा समय खराब होगा । आप लोग प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए काम करते हो, इसलिए आपका टाइम बचाना जरूरी है । अतः आप सभी को टोल प्लाजा पर वी.आई.पी. लाइन से निकालना ही बेहतर है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि टोल प्लाजा पर जितने दिन तक आम नागरिकों से टोल टैक्स लिया जाना हो उतने दिन तक पैट्रोल, डीजल इत्यादि पर उसी अनुपात में टैक्स लगा दिया जाए या किसी और रूप में

उन पर टैक्स लगा दिया जाए । इससे हर आदमी को टोल प्लाजा पर टैक्स पे करने में जो दिक्कत आती है उससे राहत मिलेगी ।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(viii) दि हरियाणा सैलरीज एंड अलाउंसिज ऑफ मिनिस्टर्स (अमैंडमैंट) बिल, 2017

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ –

कि हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बिल के सम्बन्ध में एक सुझाव है । आज हरियाणा विधान सभा में हरियाणा प्रदेश के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों में 10 परसैंट की बढ़ौत्तरी करने के लिए यह बिल आया है । हरियाणा में इस समय जितने भी मंत्री हैं वे सभी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं । इस बिल के द्वारा आप हरियाणा सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि करना चाहते हो तो आप अवश्य कीजिए । मेरा कहना है कि आपको इस काम में हरियाणा विधान सभा को शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह 10 परसेंट बढ़ा हुआ पैसा भारतीय जनता पार्टी के फंड में जमा किया जाएगा । जब हरियाणा के मंत्रियों का बढ़ा हुआ 10 परसैंट वेतन भारतीय जनता पार्टी के पार्टी फंड में जमा किया जाएगा तो इसका भार हरियाणा विधान सभा पर क्यों डाला जा रहा है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।)

(ix) दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैंबली (सैलरी, अलाउंसिज एंड पेंशन ऑफ मैंबर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2017

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे और इस पर तुरंत विचार करने के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ –

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री जाकिर हुसैन (नूंह): अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश जी ने कहा है कि जो वेतन बढ़ौत्तरी हुई है वह अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूँ कि बढ़ौत्तरी कम हुई है जबकि इसमें और ज्यादा बढ़ौत्तरी होनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर पिछले साल भी विस्तार से चर्चा हुई थी और इस बात को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार भी किया था कि भूतपूर्व विधायकों का वेतन बहुत सालों से नहीं बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से अर्ज करना चाहता हूँ कि यदि हम 1 अप्रैल, 2016 से सभी विधायकों को वेतन में बढ़ौत्तरी का लाभ दे रहे हैं, तो भूतपूर्व विधायकों के लिए भी आज ही एक विधेयक सदन में पास करके उनको भी इसी तरह का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके लिए भूतपूर्व विधायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत–बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि पूर्व विधायकों के महँगाई भत्ते को लेकर थोड़ी अड़चनें हैं। इसके लिए विधान सभा के अधिकारी और मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा हल निकालने की कोशिश की जा रही है। इसका समाधान निकलते ही सरकार पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ौत्तरी करेगी। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा और इसका आर्डिनेंस भी जारी कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई –क्लॉज विचार करेगा।

सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ।)

.....

सरकारी संकल्प–

चण्डीगढ़ में हरियाणा राज्य के लिए पृथक् उच्च न्यायालय के निर्माण सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, हरियाणा का अलग हाई कोर्ट हो इस संबंध में श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने भी काफी प्रयत्न किये थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी केन्द्र सरकार से इस बारे में बातचीत की है। पहले हरियाणा का अलग हाई कोर्ट बनाने की जब बात आई थी तो उस समय जगह की कमी की वजह से यह बात सिरे नहीं चढ़ पाई थी। सभी लॉ विशेषज्ञों से भी बातचीत की गई है। हमारा पंजाब के साथ 60:40 के अनुपात में बंटवारा हुआ है। इसी तरह से एम.एल.एज. हॉस्टल तथा सचिवालय का बंटवारा हुआ है। माननीय चीफ जस्टिस और जस्टिस ने इस संबंध में 8 महीने से काफी ऐक्सरसाईज भी की है। मैं सदन की तरफ से एक संकल्प रख़ रहा हूं:–

जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय होगा और जबकि हरियाणा के सिवाय सभी नवसृजित राज्यों, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लिए अपने पृथक उच्च न्यायालय उपलब्ध है।

2 और जब कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का केन्द्रीय अधिनियम 1931) की धारा–3 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य के रूप में सम्मिलित होकर एक नवम्बर, 1966 से अस्तित्व में आया।

3 और जब कि संसद ने अपने विवेक से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा–29 के माध्यम से पंजाब, हरियाणा और केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा–41 के अन्तग्रत निम्नलिखित प्रावधान किया:

"41 व्यावृतियॉ:– इस भाग की कोई भी बात संविधान के किसी प्रावधान के साझा उच्च न्यायालय पर लागू करने को प्रभावित नहीं करेगी, और नियत तिथि या उसके बाद से साझे उच्च न्यायालय के संबंध में इस भाग के उपबन्ध विधानमण्डल या अन्य किसी दूसरे प्राधिकरण जो ऐसे प्रावधान बनाने के लिए सक्षम है, द्वारा उच्च न्यायालय के संबंध में बनाए गए प्रावधानों के अधीन लागू होंगे।"

4 और जब कि हरियाणा विधान सभा के पंजाब और हरियाणा राज्य उच्च न्यायालय का बंटवारा करके हरियाणा राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए 14.03.2002 और 15.12.2005 को प्रस्ताव पारित किए।

5. और जबकि हरियाणा राज्य को अस्तित्व में आए 50 साल हो गए हैं, परन्तु हरियाणा के लिए पृथक उच्च न्यायालय नहीं बन पाया है।

6. और जब कि इस अवधि में हरियाणा की जनता को साझा उच्च न्यायालय में कार्यभार की अधिकता से मुकदमों के लम्बित रहने और मामलों के निपटान में देरी सहित अनेक कष्ट झेलने पड़े हैं। वर्तमान में पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय में स्वीकृत पदों की संख्या 85 है जिसमें से हरियाणा से केवल 18 न्यायाधीश है। उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं से सीधी नियुक्ति के हरियाणा राज्य के लिए 23 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध हरियाणा के केवल 13 न्यायाधीश नियुक्त हैं, जिससे हरियाणा के

अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय पीठ में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा।

7. और मुख्यमंत्री हरियाणा ने 22 अप्रैल, 2017 को प्रधानमंत्री से हरियाणा के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में हरियाणा के लिए पृथक उच्च न्यायालय बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है।

8. मंत्री–परिषद् द्वारा बैठक दिनांक 18.04.2017 को प्राधिकृत किए जाने के पश्चात् मंत्री–परिषद की ओर से 04.05.2017 को होने वाली बैठक में हरियाणा विधान सभा के अनुमोदन के लिए निम्न प्रस्ताव रखने का निर्णय हुआ : ''राजधानी शहर चण्डीगढ़ में हरियाणा राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय बनाने के लिए कानून में समुचित संशोधन के लिए संसद से अनुरोध किया जाए।''

9. अब हरियाणा विधान सभा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसरण में प्रस्ताव पारित करती है कि हरियाणा की राजधानी होने के नाते चण्डीगढ़ में हरियाणा के लिए पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में समुचित संशोधन के लिए आवश्यक कानून बनाने हेतु संसद से अनुरोध कर लिया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

जब कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय होगा और जबकि हरियाणा के सिवाय सभी नवसृजित राज्यों, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लिए अपने पृथक उच्च न्यायालय उपलब्ध है।

2 और जब कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का केन्द्रीय अधिनियम 1931) की धारा–3 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य के रूप में सम्मिलित होकर एक नवम्बर, 1966 से अस्तित्व में आया।

3 और जब कि संसद ने अपने विवेक से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा–29 के माध्यम से पंजाब, हरियाणा और केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा–41 के अन्तगर्त निम्नलिखित प्रावधान कियाः

"41 व्यावृतियाँः– इस भाग की कोई भी बात संविधान के किसी प्रावधान के साझा उच्च न्यायालय पर लागू करने को प्रभावित नहीं करेगी, और नियत तिथी या उसके बाद से साझे उच्च न्यायालय के संबंध में इस भाग के उपबन्ध विधानमण्डल या अन्य किसी दूसरे प्राधिकरण जो ऐसे प्रावधान बनाने के लिए सक्षम है, द्वारा उच्च न्यायालय के संबंध में बनाए गए प्रावधानों के अधीन लागू होंगे।"

4 और जब कि हरियाणा विधान सभा के पंजाब और हरियाणा राज्य उच्च न्यायालय का बंटवारा करके हरियाणा राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए 14.03.2002 और 15.12.2005 को प्रस्ताव पारित किए।

5. और जब कि हरियाणा राज्य को अस्तित्व में आए 50 साल हो गए हैं, परन्तु हरियाणा के लिए पृथक उच्च न्यायालय नहीं बन पाया है।

6. और जब कि इस अवधि में हरियाणा की जनता को साझा उच्च न्यायालय में कार्यभार की अधिकता से मुकदमों के लम्बित रहने और मामलों के निपटान में देरी सहित अनेक कष्ट झेलने पड़े हैं। वर्तमान में पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय में स्वीकृत पदों की संख्या 85 है जिसमें से हरियाणा से केवल 18 न्यायाधीश है। उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं से सीधी नियुक्ति के हरियाणा राज्य के लिए 23 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध हरियाणा के केवल 13 न्यायाधीश नियुक्त हैं, जिससे हरियाणा के अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय पीठ में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा।

7. और जब कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने 22 अप्रैल, 2017 को प्रधानमंत्री से हरियाणा के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में हरियाणा के लिए पृथक उच्च न्यायालय बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है।

8. और जब कि मंत्री–परिषद् द्वारा बैठक दिनांक 18.04.2017 को प्राधिकृत किए जाने के पश्चात् मंत्री–परिषद की ओर से 04.05.2017 को होने वाली बैठक में हरियाणा विधान सभा के अनुमोदन के लिए निम्न प्रस्ताव रखने का निर्णय हुआ : ''राजधानी शहर चण्डीगढ़ में हरियाणा राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय बनाने के लिए कानून में समुचित संशोधन के लिए संसद से अनुरोध किया जाए।''

9. अतः अब हरियाणा विधान सभा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसरण में प्रस्ताव पारित करती है कि हरियाणा की राजधानी होने के नाते चण्डीगढ़ में हरियाणा के लिए पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में समुचित संशोधन के लिए आवश्यक कानून बनाने हेतु संसद से अनुरोध कर लिया जाए।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रस्ताव लेकर आए हैं तो मैं आपके मार्फत मंत्री जी से और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रियों और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में हुड्डा जी की सरकार में भी पारित हुआ था और आज जो आप सदन के सामने बता रहे हैं कि जिस तरह बंटवारा हमारे विधानसभाओं का है, सैक्रेटेरियट का है और जो हाई कोर्ट का है। स्पीकर सर, यह आपको समझना होगा सरकार अपने अधिकारियों से बात करे। एक यू.टी का एरिया है। यू.टी अपने आप में एक स्टेट की तरह ऑटोनॉमस बॉडी है। जिसकी जूरिस्डिक्शन वेस्ट पंजाब और हरियाणा मिलकर करते हैं। आज मान लिया जाए जो व्यवस्था सदन में रख रहे हैं और जो टैक्नीकल दिक्कत आयेगी, वह यह आएगी कि हरियाणा और पंजाब का बंटवारा करवा दिया जाए तो यू.टी का क्या होगा। यू.टी में पंजाब हाई कोर्ट की जूरिस्डिक्शन वेस्ट करेगी या हरियाणा हाई कोर्ट की करेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे ऑफिसिज चंडीगढ़ और पंचकूला में है। यह एक कानून है जिसका समाधान संसद के पास नहीं हैं। मैं आपकी मार्फत यह

कहना चाहता हूं कि अगर इसका समाधान करना है तो सरकार हरियाणा की नई राजधानी बनाने की बात करें। आज देश में और हरियाणा में बी.जे.पी की सरकार है। अगर हम सभी यह चाहते है कि हमारा एस.वाई.एल नहर के पानी का नुकसान न हो और दूसरे राज्य के हिस्से का भी नुकसान न हो और हरियाणा को दुनिया का एक सबसे सुंदर राज्य बनाया जाए ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले और कानूनी झंझट से छुटकारा मिले।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला किलोई) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से यह जो प्रस्ताव रखा गया है इसका हम सभी समर्थन करते हैं । इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले भी यह प्रस्ताव सदन में आ चुका है । जिस समय मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री था उस समय भी यह प्रस्ताव लाया गया था । उस समय भी प्रदेश का अलग से हाई कोर्ट बनाने के लिए काफी चर्चा हुई थी । इस बारे में चीफ जस्टिस और कानून मंत्री जी से भी काफी बात हुई थी । हरियाणा अपना अलग से हाई कोर्ट बनाये उसके लिए सबसे पहले बात बिल्डिंग की आई थी कि एक बिल्डिंग में सभी जजों के बैठने की व्यवस्था हो पायेगी या नहीं । उस समय हमने कहा था कि बिल्डिंग की एक्सपैंशन हो रही है यदि इसमें थोड़ी एक्सपैंशन की गुंजाइश और है तो वह कर दी जाये । लेकिन उसके बाद बात जूरिस्डिक्शन पर आकर अटक गई कि चण्डीगढ़ में पंजाब हाई कोर्ट की जूरिस्डिक्शन रहेगी या हरियाणा हाई कोर्ट की जूरिस्डिक्शन रहेगी। चण्डीगढ़ दोनों प्रदेशों की राजधानी है इसलिए यह किसी एक स्टेट को नहीं दे सकते । उस समय मैंने सुझाव दिया था कि दिल्ली हाई कोर्ट की एक बैंच चण्डीगढ में बैठा दी जाये जो चण्डीगढ़ के मैटर्स को देखे । इसके अतिरिक्त पंजाब अपनी जूरिस्डिक्शन रखे और हरियाणा अपनी जूरिस्डिक्शन रखे । उस समय के चीफ जस्टिस मेरे इस सुझाव से सहमत भी थे लेकिन बात आगे नहीं चल सकी । इसके अतिरिक्त हमने यह भी सुझाव दिया था कि एक जज पंजाब हाई कोर्ट का और एक जज हरियाणा हाई कोर्ट का हो जिनको चण्डीगढ़ की जूरिस्डिक्शन दे दी जाये तथा हरियाणा पंजाब की अलग–अलग जूरिस्डिक्शन हो जाये लेकिन कोई हल नहीं निकला । मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि अलग से हाई कोर्ट बनाने के लिए जूरिस्डिक्शन पर आकर बात अटक जाती है इसलिए इस पर सरकार गहनता से विचार करे । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जो बात करण सिंह दलाल जी ने हरियाणा की अलग से राजधानी बनाने की बात कही है इससे कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की अलग से राजधानी बनाने का सुझाव मेरा अपना व्यक्तिगत है ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो जूरिस्डिक्शन की बात बताई है वह बिलकुल सही बात है । हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से और कानून मंत्री जी से मिलकर आये हैं । मैं इसमें केवल यही कहना चाहता हूं कि यह हमारे लिए एक संवैधानिक जरूरत है इसलिए इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से पारित किया जाये । हुड्डा साहब ने हरियाणा की अलग से राजधानी न बनाने की बात कहकर अपने समधी को ठीक कर दिया है । (हंसी)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी तो दलाल जी के साथ ठीक से रहें।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं करण सिंह दलाल जी के साथ बिलकुल ठीक हूं । ये मेरे भाई हैं । पहले ये हमारे साथ थे अब हमारे से दूर चले गये हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरी यही प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाये । जिस समय हरियाणा की अलग से राजधानी बनाने की बात आयेगी उस समय हम हुड्डा साहब को भी साथ लेकर चलेंगे ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बनाने में जूरिस्डिक्शन का इशू फिर से उठेगा । जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा तब तक यह काम नहीं बनेगा इसलिए इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने यह ठीक बात कही है कि एक शहर में दो अलग–अलग हाई कोर्ट बनेंगे तो जूरिस्डिक्शन का विषय मुख्य मुद्दा रहेगा । इसमें केवल चण्डीगढ़ की जूरिस्डिक्शन की बात ही नहीं है बल्कि हरियाणा और पंजाब के कार्यालय भी चण्डीगढ़ में ही हैं और जूरिस्डिक्शन जियोग्राफिकली होती है । यह विषय भी इसमें रहेगा । प्रधानमंत्री जी के सामने जब हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बनाने का विषय आया था तब भी उन्होंने यही प्रश्न किया था । मैंने इसका जवाब भी दिया था और कानून मंत्री जी तथा चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया से भी इस बारे में बात हुई थी । अभी यह विषय वर्बली उठा है हमने लिखित में कुछ नहीं दिया है । हमने भी यही सुझाव दिया है कि दोनों प्रदेशों के एक–एक जज का अलग से बैंच बन जाये जो चण्डीगढ़ के

केसिज को देखे । इसके अतिरिक्त एक सुझाव यह भी आया था कि जो आदमी जिस कोर्ट में केस लड़ना चाहे वह उस पर छोड़ दी जाये । यदि कोई हरियाणा हाई कोर्ट में लड़ना चाहता है तो वह हरियाणा हाई कोर्ट में केस डाल दे और यदि कोई पंजाब हाई कोर्ट में केस लड़ना चाहता है तो वह पंजाब हाई कोर्ट में केस डाल दे तथा ज्वाइंट जूरिस्डिक्शन दोनों की रहे । इस तरह के सुझाव अभी आ रहे हैं और अवश्य ही इसका कोई प्रक्टिकल रास्ता निकलेगा । लेकिन हमें आने वाले समय में चण्डीगढ़ के संबंध में कोई न कोई सर्वमान्य और प्रैक्टिकल रास्ता तो हमें निकालना ही पड़ेगा। जब इस बारे में विस्तारपूर्वक बात होगी और चण्डीगढ़ की जूरिस्डिक्शन का कोई रास्ता निकलेगा तो इस विषय के संबंध में भी उस समय विचार कर लिया जायेगा। इसके अलावा इसमें किसी दूसरे विषय की कोई भी बाधा नहीं है।

श्रीमती गीता भुक्कल(झज्जर): स्पीकर सर, मैं इस बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हरियाणा के लिए अलग से हाई कोर्ट के संबंध में यहां पर ऑफिशियल रेजोल्यूशन लाया जाये तो उसमें यह भी जिक्र किया जाये कि विधान सभा में पहले भी दो बार यह प्रस्ताव चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार के समय में पास हो चुका है। यह उसका पार्ट हो जाये अगर ऐसा किया जाता है तो that will be much better.

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

जब कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय होगा और जबकि हरियाणा के सिवाय सभी नवसृजित राज्यों, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लिए अपने पृथक उच्च न्यायालय उपलब्ध है।

2 और जब कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का केन्द्रीय अधिनियम 1931) की धारा–3 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य के रूप में सम्मिलित होकर एक नवम्बर, 1966 से अस्तित्व में आया।

3 और जब कि संसद ने अपने विवेक से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा–29 के माध्यम से पंजाब, हरियाणा और केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा–41 के अन्तगर्त निम्नलिखित प्रावधान कियाः

"41 व्यावृतियाँः– इस भाग की कोई भी बात संविधान के किसी प्रावधान के साझा उच्च न्यायालय पर लागू करने को प्रभावित नहीं करेगी, और नियत तिथी या उसके बाद से साझे उच्च न्यायालय के संबंध में इस भाग के उपबन्ध विधानमण्डल या अन्य किसी दूसरे प्राधिकरण जो ऐसे

प्रावधान बनाने के लिए सक्षम है, द्वारा उच्च न्यायालय के संबंध में बनाए गए प्रावधानों के अधीन लागू होंगे।"

4 और जब कि हरियाणा विधान सभा के पंजाब और हरियाणा राज्य उच्च न्यायालय का बंटवारा करके हरियाणा राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए 14.03.2002 और 15.12.2005 को प्रस्ताव पारित किए।

5. और जब कि हरियाणा राज्य को अस्तित्व में आए 50 साल हो गए हैं, परन्तु हरियाणा के लिए पृथक उच्च न्यायालय नहीं बन पाया है।

6. और जब कि इस अवधि में हरियाणा की जनता को साझा उच्च न्यायालय में कार्यभार की अधिकता से मुकदमों के लम्बित रहने और मामलों के निपटान में देरी सहित अनेक कष्ट झेलने पड़े हैं। वर्तमान में पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय में स्वीकृत पदों की संख्या 85 है जिसमें से हरियाणा से केवल 18 न्यायाधीश है। उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं से सीधी नियुक्ति के हरियाणा राज्य के लिए 23 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध हरियाणा के केवल 13 न्यायाधीश नियुक्त हैं, जिससे हरियाणा के अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय पीठ में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा।

7. और जब कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने 22 अप्रैल, 2017 को प्रधानमंत्री से हरियाणा के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में हरियाणा के लिए पृथक उच्च न्यायालय बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है।

8. और जब कि मंत्री–परिषद् द्वारा बैठक दिनांक 18.04.2017 को प्राधिकृत किए जाने के पश्चात् मंत्री–परिषद की ओर से 04.05.2017 को होने वाली बैठक में हरियाणा विधान सभा के अनुमोदन के लिए निम्न प्रस्ताव रखने का निर्णय हुआ : ''राजधानी शहर चण्डीगढ़ में हरियाणा राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय बनाने के लिए कानून में समुचित संशोधन के लिए संसद से अनुरोध किया जाए।''

9. अतः अब हरियाणा विधान सभा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसरण में प्रस्ताव पारित करती है कि हरियाणा की राजधानी होने के नाते चण्डीगढ़ में हरियाणा के लिए पृथकउच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में समुचित संशोधन के लिए आवश्यक कानून बनाने हेतु संसद से अनुरोध कर लिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सरकारी संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ)

.....

राज्य से संबंधित कुछ मुद्दों के साथ–साथ एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे से संबंधित प्रधान मंत्री के साथ हाल ही में हुई उनकी बैठक से संबंधित मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सूचना/स्पष्टीकरण

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, पिछले सैशन के बाद हरियाणा प्रदेश में जाट आरक्षण के विषय पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। उस समय उस आंदोलन को सरकारी स्तर पर खत्म करने का काम किया गया था और इस

आंदोलन के तहत जो लोग धरने इत्यादि पर बैठे थे उनको धरने से उठाया गया। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में इस बात की विशेष रूप से चर्चा है कि उस मामले में आगे क्या कार्यवाही सरकार के स्तर पर की गई उसके बारे में सरकार की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए? सभी यह चाहते हैं कि किन–किन बातों पर जाट संघर्ष समिति से सहमति हुई इसको भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हम यह भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में अब तक क्या प्रोग्रैस हुई है क्योंकि आज फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर चिंता का माहौल बना हुआ है कि इतना समय बीतने के बावजूद भी हरियाणा सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई सकारात्मक निर्णय लेते हुए ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जब वे एस.वाई.एल. नहर के इशू पर अपना जवाब दें तो इस बारे में भी स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने की कृपा करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बारे में हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन बीते समय में हो चुका है । हम नहीं चाहते कि उस प्रकार की परिस्थितियां फिर से पैदा हों। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बारे में भी यहां पर चर्चा करवाई जाये ताकि इस मामले में सभी को सही जानकारी उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : स्पीकर सर, आज का जो यह विशेष सत्र बुलाया गया है जैसा कि आप द्वारा भी प्रारम्भ में यह बताया गया था कि यह सत्र जी.एस.टी. बिल को पारित करने के लिए था और इसके साथ ही साथ जो लैजिस्लेटिव बिजनैस का काम था उसको ही इस सत्र में सम्पन्न किया जाना था जो कि किया गया है। इसके अलावा यहां पर कोई और विषय नहीं उठाया जाना था यह बात हुई थी लेकिन यहां एक विषय उठाया गया उस सम्बन्ध में मैं महान सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एस.वाई.एल. नहर के विषय को लेकर हम सभी माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखे। यह पत्र हमने केवल मात्र सरकार की तरफ से ही लिखे ऐसी बात नहीं है बल्कि इसी प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने स्तर पर प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए समय लेने के लिए पत्र लिखा था। मुझे इसकी जानकारी अखबारों के माध्यम से मिली थी। इसी प्रकार से सभी दलों के माननीय साथियों ने माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से मिलकर अपनी बात रखी थी। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में माननीय राष्ट्रपति जी की एक अलग भूमिका है। माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने

के पीछे हमारा यही मकसद था कि जो एस.वाई.एल. नहर का इशू इतने समय से अर्थात लगभग 12 वर्ष से माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रैजीडैंशियल रैफरैंस के रूप में पैंडिंग था। उसके सम्बन्ध में प्रैजीडैंशियल रैफरैंस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। इसीलिए हम यह चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति जी से मिलकर इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की जाये और इस सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रपति जी को सम्बंधित पक्ष से इस मामले में आगामी आवश्यक कार्यवाही करवाने के लिए आग्रह किया जाये। इसी प्रकार से पंजाब विधान सभा द्वारा जो इस एग्रीमैंट को रद्द करने का एक एक्ट पास किया गया था उसको भी निरस्त करवाया जाये। इसके साथ ही यह भी मांग थी कि इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला जाये। इस सम्बन्ध में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के मिलने का समय मांगा था और वहां से हमें यह संदेश प्राप्त हुआ कि हम इस विषय पर बातचीत करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी से मिल लें और इस सम्बन्ध में जो भी हमारी चिंतायें और मांगें हैं उनसे माननीय गृह मंत्री जी को अवगत करवा दिया जाये। इस प्रकार से जो माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने का फैसला यहां पर लिया गया था उसके अनुसार ही माननीय प्रधानमंत्री जी से निर्देश पर हम माननीय गृह मंत्री जी को मिलकर आये। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कि भारत सरकार के गृह मंत्री के नाते माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर हम उनसे मिले हैं। मेरे ख्याल से यह विषय उसी समय पूरा हो गया था। अगर यह विषय उस समय पूरा न होता तो आज भी मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि उस समय हम सभी को यह कहना चाहिए था हम माननीय गृह मंत्री जी से न मिलकर केवल माननीय प्रधानमंत्री जी से ही मिलेंगे। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर ही हम माननीय गृह मंत्री जी से मिलें हैं तो मेरे हिसाब से वह विषय उसी समय पूरा हो जाता है। अब बात उठाई जाती है कि उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने की। इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के दो कारण रहे हैं। इनमें से पहला कारण है कि कुछ दिन पहले पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से मिलने के लिए गए थे। यह भी हो सकता है कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनने के बाद शिष्टाचारवश माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गये हों। यह भी हो सकता है कि उन्होंने उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी से एस.वाई.एल. नहर के इशू पर भी बात की होगी लेकिन समाचार–पत्रों और सम्पूर्ण मीडिया में इस आशय

के समाचार आये कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर आये हैं इसलिए हमें भी माननीय प्रधानमंत्री को मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए और साथ में यह भी जानकारी लेनी चाहिए कि क्या पंजाब के मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी से एस.वाई.एल. नहर के सम्बन्ध में भी कोई बात की है? मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का दूसरा कारण यह था कि उससे अगले दिन नीति–आयोग की बैठक थी। अनेक मौकों पर समय–समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा मिलना होता ही रहता है। ऐसी बात भी नहीं है कि केवल मैं ही माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलता हूं बल्कि सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री समय–समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते ही रहते है और उस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी से वे अपने प्रदेश की चिंताओं और दूसरी परिस्थितियों पर भी बराबर बातचीत करते हैं। ऐसे ही मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी और उसमें कोई पहली बार ऐसा मिलना हुआ है या मैं अलग से कोई मोटिव लेकर मिला हूं ऐसा नहीं है । अगले दिन नीति आयोग की मीटिंग थी और पहले दिन मैंने फोन किया तो मुझे सहमति मिल गई कि कल शाम 6 बजे आप प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं । अच्छे मूड में हमारी बातचीत हुई । उस मीटिंग में कई विषयों पर बातचीत हुई । उसमें एस.वाई.एल. नहर का विषय भी था । उस बारे में मैं एक पत्र भी लेकर गया था और अगर सदन चाहे तो जो पत्र हमने वहां पर दिया है हम उसको जारी कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त अलग हाई कोर्ट का विषय भी उसमें शामिल था जिस पर आज हमने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है । यह विषय आज का नहीं है । इस पर 2002, 2003 में तथा उसके बाद हुड्डा साहब के समय में भी इस प्रकार के संकल्प पारित किये गये

17:00 बजे

थे । इस प्रकार के विषय को समय–समय पर दोहराना आवश्यक होता है क्योंकि हम इसको जितना दोहरायेंगे उतनी ही इस बात की सम्भावना बढ़ जायेगी कि कभी न कभी हमारी बात सिरे चढ़ जायेगी । रेजोल्यूशन ऐसा विषय है जिसकी पुनरावृत्ति आवश्यक होती है । आज भी हमने सर्वसम्मति से इस विषय पर संकल्प पारित किया है । इसके अतिरिक्त तीसरा विषय हिसार में एयरपोर्ट के लिए था । हरियाणा के अपने क्षेत्र में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। अगर हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाना हो तो या तो चण्डीगढ़ में है या दिल्ली का एयरपोर्ट है । इन दोनों एयरपोट्र्स की सुविधायें हरियाणा को मिलती हैं । चण्डीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और दिल्ली गुड़गांव के इतनी नजदीक है कि कई बार तो यह लगता है कि

Airport of Delhi is more nearer to Haryana than Delhi. एयरपोर्ट से दिल्ली में पहुंचने में शायद डेढ़ दो घंटे लगते होंगे लेकिन दिल्ली के एयरपोर्ट से गुड़गांव में पहुंचने में 15 मिनट का समय लगता है । उसका हमें पूरा लाभ मिलता है तथा गुड़गांव के विकास में दिल्ली एयरपोर्ट का अपना महत्व है । इसलिए मित्रो, मैं एस. वाई.एल. नहर के विषय पर कोई अलग से बात करके आया हूं ऐसा नहीं है और केवल एक ऐजेन्डे को लेकर गया हूं ऐसा भी नहीं है । इस विषय पर आग्रह बनाना मुख्यमंत्री के नाते मेरा दायित्व है । आप चाहे इसको सदन के नेता के नाते से कहें, मुख्यमंत्री के नाते से कहें या सरकार के मुखिया के नाते से कहें, यह हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता की आवाज है । इस आवाज को जिस भी नेता को, नेता प्रतिपक्ष को, पूर्व मुख्यमंत्री को और सरकार को जिनको भी अवसर मिले उसे आगे बढ़ाना ही है और बढ़ाना ही होता है । इसीलिए हम सब मिल कर इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं । इसलिए मुझे ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर नेता प्रतिपक्ष इस विषय को लेकर एक प्रजातांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन करते हैं तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अपनी मर्यादायें हम सभी को बना कर रखनी होती हैं और वे भी बना कर रखें । इस मामले में हरियाणा एकजुट है । मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहूंगा कि–

जब हम सबने यह ठानी है कि लाना अपना पानी है,

तो शक, शुबहा और शिकवे, ताने, ये बातें बहुत बेमानी हैं ।

अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि आज इस सदन में हम सभी ने एक ऐतिहासिक काम किया है । अध्यक्ष महोदय, मैं कोई जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं और न ही यह जवाब देने का प्लेटफार्म है, मैंने जानकारी देनी थी वह दे दी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब हम इस इशू को लेकर मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहे थे तो आपने सदन में यह बात कही थी कि पहले जी.एस.टी. और दूसरे बिलों पर चर्चा हो जाये उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे । अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूं । आज पूरे प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है । पूरे प्रदेश की जनता केवल शेर और शायरी से खुश होने वाली नहीं है । शेर और शायरी के बहाने किसी बात को टाला नहीं जा सकता । मुख्यमंत्री जी से हमने यह पूछा था कि मुख्यमंत्री जी जब हम सभी केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिलने गये थे उस समय आपके वकील

और केन्द्र के वकील जो इस एस.वाई.एल. नहर के इशू की पैरवी करते हैं, उन दोनों की क्या राय थी, वह इस पूरे प्रदेश की जनता को आप बताओ? इस हाउस का हर सदस्य भी चाहता है कि उसको भी इसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए । मैं यह बताने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि मैं वहां पर किसलिए गया था । मैं यह जानने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मुख्यमंत्री जी यह बतायें कि जब आप प्रधानमंत्री जी से मिले तो आपने एस.वाई.एल. नहर पर उनके साथ क्या चर्चा की और प्रधान मंत्री जी की तरफ से आपको एस.वाई.एल. नहर के संबंध में ठोस रूप से कैसे आश्वस्त किया गया । आप अगर प्रधान मंत्री जी से मिलने अकेले भी गये हैं तो आप हमें इस बात से अवगत करवाईये कि आपने वहां जाकर प्रधान मंत्री जी से एस.वाई.एल. नहर के इश्यू पर क्या चर्चा की और प्रधान मंत्री जी की तरफ से आपको इस संबंध में क्या ठोस आश्वासन मिला ? प्रधान मंत्री जी ने एस.वाई.एल. नहर के बारे में क्या कहा ? हमें उसके बारे में जानकारी दीजिये ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक गृहमंत्री जी से एस.वाई.एल. नहर के इश्यू पर बात करने की बात है तो मैंने वहां जाकर गृहमंत्री जी से इस संबंध में बातचीत की है और मेरे अलावा आप सभी ने भी वहां जाकर बातचीत की है इसलिए आप सभी को भी इसकी जानकारी है । अतः उसके लिए मुझे अलग से कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो उन्होंने कहा वह सबके सामने कहा है । अतः हाउस के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के किसी भी सदस्य को इसकी जानकारी नहीं है कि प्रधान मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर क्या कह कर आश्वस्त किया है । यहां सारे सदस्य बैठे हैं किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है । एक भी सदस्य बता दे कि मुझे इस बात की पूर्ण जानकारी है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर हमारा मैमोरैंडम लिया और उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे । अब विचार करने के बाद प्रधान मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे उसके बारे में जो कार्रवाई होगी या किसी प्रकार का कोई आश्वासन आएगा तो उससे सारे हाउस को अवगत करवाया जाएगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस इश्यू के बारे में मुख्यमंत्री जी को प्रधान मंत्री जी से मिलकर आए हुए कितने दिन हो गए हैं। उन्होंने इतने दिनों में क्या कार्रवाई की है।

श्री मनोहर लाल : अभय जी, इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यह तो आप भी उनसे पूछ सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक गृहमंत्री जी से मिलने का सवाल है उस समय वहां बिल्कुल यह बात साफ उभर कर आ गई थी कि ये फाईनल्टी ऑर्डर है और फाईनल्टी ऑर्डर अटेन कर चुका है । अब उसकी एग्जीक्यूशन की या किसी और चीज की जरूरत नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री जी आपकी तरफ से बाद में बयान आया कि हम एग्जीक्यूशन की इंतजार करेंगे । लेकिन वहां ऐसा कोई सवाल नहीं आया था। एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर सवाल बिल्कुल स्पष्ट था कि अब इस नहर को खुदवाने की जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की है । अब इस एस.वाई. एल. नहर का निर्माण करवाने की जिम्मेवारी न हरियाणा सरकार की है और न पंजाब सरकार की अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जिम्मेवारी केवल केन्द्र सरकार की तय की है । दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी आप प्रधान मंत्री जी से एस.वाई. एल. नहर के मुद्दे पर मिले जोकि यह हर मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है । उनसे मिलकर आपने अपने प्रदेश की बहुत सारी समस्याएं भी उठाई होंगी इसमें कोई दो राय नहीं है । हम तो कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी से मिलना भी चाहिए लेकिन बाद में अखबार में जो आया उसमें यही बात उभर कर आई है कि आपने एस.वाई. एल. नहर के बारे में प्रधान मंत्री जी से काफी बातचीत की है । आपकी यह बात तो बिल्कुल ठीक है । आपने क्या कहा उस संबंध में मैं समझता हूं कि आपने यह कहा होगा कि हरियाणा प्रदेश के हिस्से की एस.वाई.एल. नहर का निर्माण करवाया जाए । हम मानते हैं कि आपने हरियाणा के हित की बात की होगी । लेकिन सवाल इस बात का है कि उस संबंध में प्रधान मंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया । इसी के हिसाब से हमारी रण नीति बनेगी ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यही तो मैं कह रहा हूं कि जो मैं वहां प्रधान मंत्री जी को कह कर आया हूं वह पत्र हम सार्वजनिक कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब यह सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

*17:07 बजे (तत्पश्चात सदन अनिश्चित काल तक के लिए *स्थगित हुआ।)